لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

(९२) जब तक तुम अपनी प्रिय धन से अल्लाह (तआला) के मार्ग में न व्यय करोगे, कदापि भलाई न पाओगे।[1] और जो कुछ तुम व्यय करो उसे अल्लाह (तआला) भली-भाँति जानता है।[2]

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا

(९३) तौरात उतरने से पूर्व ही (आदरणीय) याक़ूब (अलैहिस्सलाम) ने जिस चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लिया था उसके अतिरिक्त सभी खाने इस्राईल की सन्तान के

---

[1] بِرّ (बिर्र) का अर्थ है पुण्य व भलाई। परन्तु यहाँ पर अर्थ है सत्कार्य अथवा स्वर्ग (फ़तहुल क़दीर)। हदीस के अनुसार जब यह आयत उतरी, उस समय मदीनाँ में आदरणीय अबू तलहा अंसारी एक धनवान व्यक्ति थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुए और कहा कि ऐ रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम)! वेरोहा बाग (एक बाग का नाम है) मुझे अत्यधिक प्रिय है, मैं उसे अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए दान करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "वह तो अत्याधिक लाभदायक माल है, मेरा विचार यह है कि तुम उसे अपने सम्बन्धियों में बाँट दो।" अत: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परामर्श से उन्होंने अपने सम्बन्धियों और चचेरे भाईयों में बाँट दिया। (मुसनद अहमद) इस प्रकार अन्य कई सहाबा ने अपनी रूचिकर चीज़े अल्लाह के मार्ग में बाँटीं। مِمَّا تحبون में (مِن) कुछ के अर्थ में प्रयोग हुआ है। अर्थात सभी प्रियवर धन को बाँटने का आदेश नहीं हुआ है। वल्कि प्रियवर चीज़ों में कुछ। इसलिए प्रयत्न यही करना चाहिए कि अच्छी वस्तु दान किया जाये। यह श्रेष्ठता एवं पूर्ण पद प्राप्त करने की विधि है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि कुछ कम अच्छी, अथवा अपनी आवश्यकता से अधिक अथवा प्रयोग की हुई पुरानी चीज़ का दान नहीं किया जा सकता अथवा उसका बदला नहीं मिलेगा। इस प्रकार की चीज़ों का दान करना भी उचित है तथा अल्लाह तआला के यहाँ बदला भी मिलेगा। परन्तु विशेषता तथा श्रेष्ठता प्रिय चीज़ के दान करने में है।

[2] तुम जो कुछ भी व्यय करोगे अच्छी अथवा बुरी चीज़ अल्लाह उसे जानता है। उसके अनुसार बदला प्रदान करेगा।

لِّلَّذِينَ هَادُوا ... إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾

लिए हलाल थे। आप कह दीजिए कि यदि तुम सच्चे हो तो तौरात ले आओ और पढ़ सुनाओ ।[1]

فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩٤﴾

(९४) उसके बाद भी जोलोग अल्लाह (तआला) पर झूठा लांछन लगायें वही अत्याचारी हैं।

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۗ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾

(९५) कह दीजिए कि अल्लाह (तआला) सच्चा है। तुम सभी इब्राहीम हनीफ़ की मिल्लत का अनुकरण करो, जो मूर्तिपूजक न थे।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

(९६) नि:संदेह (अल्लाह तआला) का पहला घर जो मानव के लिये बनाया गया वही है, जो मक्का (नगरी) में है।[2] जो पूरे विश्व के लिये शुभ एवं मार्ग दर्शक है।

---

[1]यह और इस आयत के बाद की दो आयतें यहूदियों के इस विरोध पर उतरीं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप इब्राहीम के धर्म के अनुयायी होने का दावा करते हैं और ऊँट का माँस भी खाते हैं, जबकि ऊँट का माँस और दूध दोनों इब्राहीम के धर्म में हराम था। अल्लाह तआला ने फ़रमाया यहूदियों का दावा ग़लत है। आदरणीय इब्राहीम के धर्म में यह चीज़ें हराम नहीं थीं परन्तु कुछ चीज़ें इस्राईल (आदरणीय याक़ूब) ने अपने ऊपर हराम कर ली थीं। और वह यही ऊँट का माँस तथा दूध था (इसका कारण एक मन्नत अथवा रोग था) और आदरणीय याक़ूब का यह कर्म भी तौरात उतरने के बहुत पहले का है। इसलिए कि तौरात तो आदरणीय इब्राहीम तथा आदरणीय याक़ूब के बहुत बाद उतरी है, फिर तुम किस प्रकार उपरोक्त सवाल कर सकते हो ? इसके अतिरिक्त तौरात में तुम पर (यहूदियों पर) तुम्हारे अत्याचारों के कारण कुछ खाद्य हराम किया गया था (*सूर: अल- अनाम*-१४६ तथा *अल-निसा*-१६०) यदि तुम्हें विश्वास नहीं है, तो तौरात लाओ और उसे पढ़कर सुनाओ। जिससे स्पष्ट हो जायेगा कि आदरणीय इब्राहीम के समय में यह खाद्य निषेध नहीं थे और तुम पर भी कुछ चीजें हराम की गयी थीं, वह तुम्हारे अत्याचारों अथवा कुकर्मों के कारण हुई थीं अर्थात उनको हराम करने का कारण भी तुम्हारे कुकर्मों का दण्ड था। (ऐसरुत्तफ़ासीर)

[2]यह यहूदियों के दूसरे विरोध का उत्तर है, वह कहते थे कि बैतुल मक़दिस सबसे पहला इबादत का घर धरती पर बना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तथा उनके साथियों ने अपना क़िबला क्यों बदल डाला ? इसके उत्तर में कहा गया कि तुम्हारा यह दावा भी ग़लत

فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾

(९७) जिसमें स्पष्ट निशानियाँ हैं, "मुक़ामे इब्राहीम" (एक पत्थर है जिस पर ख़ाना काअबा के निर्माण के समय आदरणीय इब्राहीम खड़े होते थे और वह पत्थर आवश्यकतानुसार ऊपर उठता और नीचे आता) है, इसमें जो आ जाये निर्भय हो जाता है।[1] अल्लाह (तआला) ने उन लोगों पर जो उसकी ओर मार्ग पा सकते हों, उस घर का हज्ज अनिवार्य कर दिया है।[2] और जो कोई कुफ़्र करे, तो अल्लाह (तआला) पूरे विश्व से निस्पृह है।[3]

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾

(९८) आप कह दीजिए कि ऐ अहले किताब! तुम अल्लाह की आयतों का इंकार क्यों करते हो ? और जो कुछ करते हो, अल्लाह (तआला) उस पर गवाह है।

है। पहला घर जो सर्वप्रथम अल्लाह की इबादत के लिए धरती पर निर्मित किया गया है, वह मक्का में है।

[1]इसमें हत्या, रक्तपात, शिकार यहाँ तक कि पेड़ों को काटना भी निषेध कर दिया गया है। (सहीहैन)

[2]"मार्ग पा सकते हों।" का अर्थ यह है कि मार्ग व्यय का प्रबन्ध हो, अर्थात इतना धन हो कि मार्ग व्यय सुविधापूर्वक पूरा हो जाये। इसके अतिरिक्त प्रबन्ध से अर्थ यह भी है कि मार्ग में शांति हो। और जान व माल सुरक्षित हो। इसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि स्वास्थ यात्रा योग्य हो। इसके अतिरिक्त स्त्री के लिए उसका महरम आवश्यक है। (फ़तहुल क़दीर) यह आयत हर उस व्यक्ति के लिए जो इस प्रकार का प्रबन्ध करे उसके लिए हज अनिवार्य होने का तर्क है। और हदीसों से इस विषय का स्पष्टीकरण होता है कि जीवन में एक बार हज अनिवार्य है। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

[3]हज का प्रबन्ध होने के बाद भी हज न करना क़ुरआन ने इसे अधर्म से सम्बोधित किया है। जिससे हज के अनिवार्य होने को और भी बल मिलता है, हदीसों में भी ऐसे व्यक्ति को कठोर चेतावनी दी गयी हैं। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾

(९९) उन अहले किताब से कह दीजिए कि तुम अल्लाह (तआला) के मार्ग (धर्म) से जो ईमान लाये हैं उन्हें क्यों रोकते हो और उसमें दोष ढूँढ़ते हो, जबकि तुम स्वयं गवाह हो ?[1] और अल्लाह (तआला) तुम्हारे कर्मों से अनजान नहीं।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تُطِيعُوا۟ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ كَٰفِرِينَ ﴿١٠٠﴾

(१००) ऐ ईमानवालो ! यदि तुम अहले किताब की किसी गिरोह की बातें मानोगे, तो वह तुम्हारे ईमान लाने के पश्चात तुम्हें कुफ्र की ओर फेर देंगे।[2]

---

[1]अर्थात तुम जानते हो कि यह इस्लाम धर्म सत्य है। इसके प्रचारक अल्लाह के सच्चे संदेशवाहक हैं, क्योंकि यह बातें उन किताबों में लिखी हैं, जो तुम्हारे नबियों पर उतारी गयीं, और जिन्हें तुम पढ़ते हो।

[2]यहूदियों की चालबाज़ी और धोखेबाज़ी और उनकी ओर से मुसलमानों को भटकाने की योजनाओं को बताने के बाद, मुसलमानों को चेतावनी दी जा रही है कि तुम भी उनके हथकंडों से सावधान रहो और क़ुरआन की तिलावत करने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपस्थिति होने के बाद भी तुम लोग यहूदियों के जाल में न फँस जाओ। इसकी पृष्ठभूमि तफ़सीर के कथन पर इस प्रकार से वर्णन हुआ है कि अन्सार के दोनों क़बीले औस तथा ख़ज़रज एक संघ में बैठे आपस में बात कर रहे थे कि शास बिन क़ैस यहूदी वहाँ से गुज़रा और उनको प्रेमपूर्वक बात करते देखकर जल गया कि यह पहले एक-दूसरे के कट्टर शत्रु थे और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद एक-दूसरे के साथ सौहार्द पूर्ण वातावरण में रह रहे हैं। उसने एक यहूदी नवयुवक को यह काम दिया कि वह औस और ख़जरज को उनके बुऑस युद्ध की याद दिलाये, जो उनके मध्य हिजरत से कुछ दिन पूर्व हुआ था और उन्होंने जो एक-दूसरे के विरुद्ध गीत और कवितायें बनायीं थी, वह उनको सुनाये। अत: उसने ऐसा ही किया जिस से दोनों क़बीलों के मध्य पुराना वैमनस्य फिर से जागृत हो गया और वे एक-दूसरे को बुरा-भला कहने लगे, और यहाँ तक कि एक-दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए तैयार हो गये, निकट था कि वह एक-दूसरे की हत्या करना प्रारम्भ कर देते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गये और उन्हें समझाया और वह रुक गये, इस पर यह आयतें भी और आगामी आयतें भी उतरीं। (तफ़सीर इब्ने कसीर, व फ़तहुल क़दीर आदि)

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَ اَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٠١﴾

(१०१) और (अर्थात यह स्पष्ट है) तुम किस प्रकार कुफ़्र कर सकते हो ? जबकि तुम पर अल्लाह (तआला) की आयतें पढ़ी जाती हैं और तुममें रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) उपस्थित हैं। जो अल्लाह (तआला) के धर्म को मजबूती से पकड़ ले।[1] निःसंदेह उसे सीधा मार्ग दिखा दिया गया है।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

(१०२) ऐ ईमानवालों ! अल्लाह से उतना डरो जितना उससे डरना चाहिए।[2] और (देखो) मरते दम तक मुसलमान ही रहना।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۠ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ

(१०३) और अल्लाह (तआला) की रस्सी को सब मिलकर बलपूर्वक थाम लो।[3] और गुटबन्दी न करो।[4] और अल्लाह (तआला) की

---

[1]एतिसाम बिल्लाह (اعتصام بالله) का अर्थ है अल्लाह के धर्म को मज़बूती से पकड़ लेना, और इसका पालन करने में आलस्य न करना।

[2]इसका अर्थ यह कि इस्लाम धर्म के आदेश एवं अनिवार्य कर्म पूर्णरूप से किये जायें और मना किये गये काम के निकट भी न जायें। कुछ लोग कहते हैं कि इस आयत के उतरने से सहावा व्याकुल हुए, तो अल्लाह तआला ने आयत ﴿فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (अल्लाह से यथा सम्भव डरो) उतारी। परन्तु इसे निरस्त करने के बजाय स्पष्टकारी कहा जाये तो अधिक उचित होगा, क्योंकि निरस्त वहीं मानना चाहिए जहाँ दोनो आयतों की समानता अथवा अनुकूलता असम्भव हो। और यहाँ समानता सम्भव है। अर्थ यह होगा कि اتقو الله حق تقاته ما استطعتم (अल्लाह से इस प्रकार डरो, जिस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार डर सकते हो) (फ़तहुल क़दीर)

[3]अल्लाह के भय के वाद (सब मिलकर अल्लाह कि रस्सी को मज़बूती से पकड़ लो) की शिक्षा देकर यह स्पष्ट किया जा रहा है कि मोक्ष भी इन्हीं दो नियमों में है और एकता भी इन्हीं नियमों पर आधारित हो सकती है तथा शेष रह सकती है।

[4] ولا تفرقوا (और गुटबन्दी न करो) के द्वारा गुटों में बंटने से रोक लगा दी गयी है। इसका अर्थ यह है कि उन दो नियमों से जिनका वर्णन हो चुका है मुँह फेर लेने के कारण आपस में फूट पड़ सकती है और तुम अलग-अलग गुटों में बंट जाओगे। अतः गुटबन्दी

قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

उस समय की कृपा को याद करो जब तुम लोग आपस में एक-दूसरे के शत्रु थे। उसने तुम्हारे हृदय में प्रेम डाल दिया और तुम उसकी कृपा से भाई-भाई हो गये। और तुम आग के गड्ढे के किनारे तक पहुँच चुके थे, तो उसने तुम्हें बचा लिया। अल्लाह (तआला) इसी प्रकार अपनी निशानियों का वर्णन करता है, ताकि तुम मार्ग पा सको।

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

(१०४) और तुममें से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, जो भलाई की ओर बुलाये और सत्कर्मों का आदेश दे और कुकर्मों से रोके और यही लोग सफल होने वाले हैं।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

(१०५) और तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने अपने पास स्पष्ट तर्क आ जाने के उपरान्त भी फूट और भेद डाला।[1] इन्हीं के लिए कठोर यातना है।

का इतिहास देख लीजिए यही कारण स्पष्ट होकर सामने आयेंगे। क़ुरआन और हदीस को समझने और उसके भाष्य तथा व्याख्या में कुछ मतभेद, यह गुटबन्दी का कारण नहीं है, यह मतभेद तो सहाबा तथा ताबईन के समय में भी था, परन्तु मुसलमान गुटों में नहीं बँटे थे। क्योंकि आपसी मतभेद के बाद भी सभी के पालन का केन्द्र और विश्वास का बिन्दु एक ही था और वह है क़ुरआन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलोहि वसल्लम की हदीस, परन्तु जब व्यक्तित्व के नाम पर विचारों का प्रदर्शन होने लगा, तो पालन और विश्वास के यह केन्द्र तथा बिन्दु बदल गये। अपने-अपने व्यक्तियों और उनके कथन तथा विचार प्रथम स्थान पर तथा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथन तथा आदेश द्वितीय स्थान पर कर दिये गये। और यहीं से उम्मते मुसलिमा में गुटबन्दी आरम्भ हुई। जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गयी और अति सुदृढ़ हो गयी।

[1]ज्वलंत तर्क आ जाने के बाद भेद डाला। इससे ज्ञात हुआ कि यहूदी और ईसाईयों के मध्य भेद का यह कारण न था कि उन्हें सत्य का पता न था। और उसके तर्क से अनजान थे। बल्कि वास्तव में उन्होंने सब कुछ जानते बूझते हुए अपने सांसारिक लाभ और स्वार्थ के

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾

(१०६) जिस दिन कुछ मुख उज्जवल होंगे और कुछ काले ।[1] काले मुख वालों (से कहा जायेगा) कि तुमने ईमान लाने के बाद अविश्वास क्यों किया ? अपने इंकार की यातना चखो ।

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٧﴾

(१०७) और उज्जवल मुख वाले अल्लाह (तआला) की रहमत में होंगे और उसमें सदैव रहेंगे ।

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾

(१०८) (हे नबी) ! हम इन सत्य आयतों का पाठ (तिलावत) आप पर कर रहे हैं और अल्लाह (तआला) का विचार लोगों पर अत्याचार करने का नहीं है ।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٠٩﴾

(१०९) और अल्लाह (तआला) के लिए है जो कुछ आकाशों तथा धरती में है और अल्लाह (तआला) की ओर सभी कर्मों को लौटना है ।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ

(११०) तुम सर्वश्रेष्ठ उम्मत (समुदाय) हो जो लोगों के लिए पैदा की गयी है कि तुम सत्कर्मों का आदेश देते हो और कुकर्मों से रोकते हो, और अल्लाह (तआला) पर ईमान

लिये मतभेद तथा भेद का मार्ग पकड़ा था और उस पर डटे हुए थे । क़ुरआन करीम ने विभिन्न शैली और पध्वता से बार-बार इस वास्तविकता की ओर संकेत किया है । और इससे दूर रहने पर बल दिया है । परन्तु खेद है कि इस उम्मत के भेदुत्पादकों ने भी ठीक वही रीति पकड़ रखा है कि सत्य और उसके स्पष्ट तर्क उन्हें ठीक प्रकार से ज्ञात हैं, परन्तु वह अपने भेद-भाव पर जमे हुए हैं और अपनी पूरी मांसिक अर्हता पूर्व के समुदायों की भांति कल्पना एवं हेर-फेर के घृणित कार्य में व्यर्थ कर रहे हैं ।

[1]आदरणीय इब्ने अब्बास (رضى الله عنهما) ने इससे अहले सुन्नत वल जमाअत और अहले बिदअत तात्पर्य लिया है । (इब्ने कसीर तथा फ़तहुल क़दीर) इससे ज्ञात हुआ कि इस्लाम वही है जिस पर अहले सुन्नत वल जमाअत कार्यरत हैं । और अहले बिदअत एवं विरोधुत्पादक लोग इस्लाम के उस वरदान से वंचित हैं, जो मोक्ष का कारण है ।

خَيْرًا لَّهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

रखते हो ।[1] यदि अहले किताब ईमान लाते तो उनके लिए उत्तम होता । उनमें ईमानवाले भी हैं ।[2] परन्तु अधिकतर लोग फ़ासिक़ हैं ।

لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ۖ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١١١﴾

(१११) यह लोग तुम्हें सताने के अतिरिक्त और अधिक कुछ हानि नहीं पहुँचा सकते । और यदि तुमसे लड़ाई हो तो पीठ फेर लेंगे । फिर वे सहायता नहीं दिये जायेंगे ।[3]

---

[1]इस आयत मे मुस्लिम उम्मत को सर्वश्रेष्ठ समुदय कहा गया है । और उसका कारण भी बताया गया है कि जो अच्छे कर्मों का आदेश करते हैं और बुरे कर्मो से रोकते हैं और अल्लाह पर ईमान रखते हैं अर्थात यह समुदाय यदि इन श्रेष्ठ विशेषताओं से विभूषित रहेगा, तो सर्वश्रेष्ठ समुदाय है अन्यथा इस अलंकरण से वंचित कर दिया जा सकता है । उसके उपरान्त अहले किताब की आलोचना से भी इस बिन्दु का स्पष्टीकरण ज्ञात होता है कि जो भी सत्कर्म का आदेश और कुकर्म का अवरोध नहीं करेगा, वह भी अहले किताब के समान होगा । उनकी विशेषता का वर्णन किया गया है ।

﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ﴾

"वह एक-दूसरे को बुराई से नहीं रोकते थे ।" (*अल-मायदा-७९*)

और यहाँ इसी आयत में उनमें से अधिकतर को धर्महीन कहा गया है । सत्कर्मो का आदेश देना यह सामान्य लोगों के लिए अनिवार्य है अथवा विद्वानों का दायित्व है । अधिकतर विद्वानों (आलिमों) का विचार है कि यह विशिष्ठ व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है अर्थात विद्वानों का कर्त्तव्य है कि इस दायित्व को पूरा करते रहें । क्योंकि सत्कर्म और कुकर्म धार्मिक नियम के अन्तर्गत अच्छाई-बुराई का ज्ञान उन्हीं को है । उनके द्वारा प्रचार-प्रसार एवं आमन्त्रण के कर्त्तव्य के अदा करने के कारण उम्मत के अन्य सभी व्यक्तियों की ओर से यह कर्त्तव्य समाप्त हो जायेगा । जैसे जिहाद (धर्मयुद्ध) भी सामान्य परिस्थितियों में साधारण कर्त्तव्य है अर्थात एक गिरोह की ओर सें अदायगी से शेष सभी का कर्त्तव्य समाप्त हो जायेगा ।

[2]जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम आदि जो मुसलमान हो गये थे । परन्तु उनकी संख्या कम थी अत: مِنهم में مِن कुछ के अर्थ के लिए प्रयोग हुआ है ।

[3] أذى (सताने) से तात्पर्य मौखिक रूप से कलंकित करना तथा मिथ्यावाद एवं आरोप है जिससे दिल को सामयिक दु:ख अवश्य होता है, परन्तु यह रणक्षेत्र में तुम्हें पराजित नहीं

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ
مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ
وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ
الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
الْأَنبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا
عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

(११२) यह प्रत्येक स्थान पर अपमानित हैं, यह और बात है कि अल्लाह (तआला) की अथवा लोगों की शरण में हों ।[1] यह अल्लाह के क्रोध के अधिकारी हो गये । और उन पर निर्धनता थोप दी गयी । यह इसलिए कि यह लोग अल्लाह (तआला) की आयतों को नहीं मानते थे और अकारण नबियों की हत्या करते थे । यह बदला इनकी अवज्ञता और सीमा लांघने का है ।[2]

कर सकते । अतएव ऐसा ही हुआ । मदीने से भी यहूदियों को निकलना पड़ा और फिर ख़ैबर भी विजयी हुआ । और वह वहाँ से भी निकाले गये । इसी प्रकार सीरिया के क्षेत्र में ईसाईयों को भी मुसलमानों से पराजित होना पड़ा । यहाँ तक कि ईसाईयों ने क्रुसुएड (ईसाई-मुस्लिम युद्ध) के द्वारा बदला लेने का प्रयत्न किया और बैतुल मक़दिस पर अधिकार कर लिया । परन्तु उसे सुल्तान सलाहुउद्दीन अय्यूबी ने ९० वर्ष बाद स्वतन्त्र कर लिया । परन्तु अब मुसलमानों के ईमान की कमज़ोरी के कारण यहूदी और ईसाईयों की सहभागी योजनाओं के कारण बैतुल मक़दिस फिर मुसलमानों के हाथ से निकल गया । परन्तु एक समय ऐसा आयेगा कि यह परिस्थिति बदल जायेगी । विशेष रूप से आदरणीय ईसा के आने के बाद ईसाई धर्म की समाप्ति तथा मुसलमानों की विजय श्री आवश्यक है । जैसाकि सहीह हदीस में है । (इब्ने कसीर)

[1]यहूदियों का जो अपमान अथवा गत्यवरोध अल्लाह के क्रोध के कारण उन पर है, उससे कुछ समय के लिए बचाओ के दो रास्ते बताये गये हैं । एक तो वह अल्लाह की शरण में आ जायें अर्थात इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें । अथवा किसी इस्लामी राज्य में शरणार्थी कर दे कर शरणार्थी के रूप में निवास करें । दूसरे यह कि लोगों की शरण प्राप्त हो जाये इसके दो भावार्थ वर्णित किये गये हैं । एक यह कि इस्लामी राज्य के अतिरिक्त एक सामान्य मुसलमान उनको शरण दे दे, जैसे कि प्रत्येक मुसलमान को यह अधिकार प्राप्त है और इस्लामी राज्य के राज्याधिकारियों को यह चेतावनी दी गयी है कि वह किसी छोटे से छोटे मुसलमान व्यक्ति द्वारा दी गयी शरण को रद्द न करें । दूसरा यह कि किसी बडी ग़ैर मुस्लिम शक्ति की सहायता उनको प्राप्त हो जाये । क्योंकि الناس सामान्य है, इसमें मुसलमान और ग़ैर मुस्लिम दोनों सम्मिलित हैं ।

[2]यह उनके कुकर्म हैं जिनके कारण उन पर यह अपमान थोपा गया है ।

لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾

(११३) यह सारे के सारे एक जैसे नहीं, बल्कि इन अहले किताब में एक स्थिर गिरोह (सत्य पर) भी है। जो रात्रि में अल्लाह की आयत पढ़ते एवं सजद: करते हैं।

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۖ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

(११४) यह अल्लाह तथा प्रलय के प्रति विश्वास रखते हैं। भलाईयों का आदेश करते और बुराईयों से रोकते हैं। और भलाई के कार्यों में शीघ्रता करते हैं। यह सदाचारियों में से हैं।

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

(११५) और यह जो कुछ भी भलाई करें उसका अनादर न किया जायेगा और अल्लाह (तआला) परहेज़गारों को अच्छी तरह जानता है।[1]

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾

(११६) नि:संदेह विश्वासहीनों को उनके धन और उनकी सन्तान अल्लाह के यहाँ कुछ काम न आयेंगी, यह तो नरकीय हैं जिसमें वे सदा वास करेंगे।

[1]यह सारे अहले किताब नहीं हैं जिनका अपमान पिछली आयत में किया गया। बल्कि उनमें कुछ अच्छे लोग भी हैं। जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम, असद बिन उबैद, सालबा बिन साय: और उसैद बिन साय: आदि जिन्हें अल्लाह तआला ने इस्लाम स्वीकार करने का सुअवसर प्रदान किया और उनमें ईमान और अल्लाह के डर की विशेषतायें भी पायी जाती हैं। वह अल्लाह से प्रसन्न हुए और अल्लाह उनसे प्रसन्न हुआ। قَائِمَةٌ का अर्थ है धार्मिक नियम का पालन तथा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुकरण करने वाले। يَسْجُدُون का अर्थ है रातों को खड़े होते हैं अर्थात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ों में तिलावत (पाठ) करते हैं। इस स्थान पर أمر بالمعروف का अर्थ कुछ ने यह किये हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का आदेश देते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरोध करने से रोकते हैं। इसी गिरोह का वर्णन आगे भी किया गया है।

﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ ﴾ (आले-इमरान-१९९)

مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ۭ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١١٧﴾

(११७) वह जो भी इस संसारिक जीवन में ख़र्च करते हैं उस वायु के समान है जिसमें पाला हो जो किसी अत्याचारी क़ौम के खेत को लगकर उसका नाश कर दे ।[1] अल्लाह ने उन पर अत्याचार नहीं किया परन्तु वह स्वतः अत्याचार कर रहे थे ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ۭ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ

(११८) ऐ ईमानवालो ! तुम अपना हार्दिक मित्र ईमानवालों के अतिरिक्त किसी अन्य को न बनाओ ।[2] (तुम नहीं देखते दूसरे लोग तो)

---

[1]क़ियामत के दिन काफ़िरों के धन काम आयेंगे न सन्तान, यहाँ तक कि भलाई के कामों में व्यय किया हुआ धन भी व्यर्थ हो जायेगा और उनकी तुलना उस पाले की जैसी है जो हरी-भरी खेती को जलाकर नष्ट कर देता है । अत्याचारी इन खेतियों को देखकर प्रसन्न हो रहे होते हैं और लाभ की आशा करते हैं कि सहसा उनकी आशायें मिट्टी में मिल जाती हैं । इससे ज्ञात हुआ कि जब तक ईमान नहीं होगा तब तक हितकर्मों में धन व्यय करने वालों की दुनियाँ में चाहे जितनी प्रसिद्धि क्यों न हो । परलोक में उन्हें उसका बदला कुछ न प्राप्त होगा । वहाँ तो उनके लिए नित्य नरक वास की यातना ही है ।

[2]यह विषय पहले भी व्यतीत हो चुका है, यहाँ उसकी विशेषता के कारण पुर्नावृत्ति हो रही है । بطانة अरबी शब्दकोष के अनुसार हार्दिक मित्र अर्थात भेदी को कहा जाता है । काफ़िर और मूर्तिपूजक मुसलमानों के लिए जो भावना और प्रयत्न रखते हैं, उनमें से जिनको स्पष्ट रूप से कहते हैं और जो अपने दिलों में छिपाकर रखते हैं । अल्लाह तआला ने उन सभी की ओर संकेत दे दिया है । यह और इस प्रकार की अन्य आयतों के आधार पर आलिमों और विचारकों ने लिखा है कि एक इस्लामी राज्य में ग़ैर मुस्लिम को महत्तवपूर्ण पदों पर रखना उचित नहीं है । कहा जाता कि आदरणीय अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु ने एक ज़िम्मी (ग़ैर मुस्लिम) को लिपिक (क्लर्क) रख लिया, आदरणीय उमर (रजी अल्लाह अन्हु) को जब यह मालूम हुआ, तो आपने उन्हें बहुत डाँटा और कहा कि "तुम उन्हे निकट न करो, जबकि अल्लाह ने उन्हें दूर किया है, उनको सम्मानित न करो, जबकि अल्लाह ने उनको अपमानित किया है और उन्हें विश्वस्त तथा मर्मज्ञ मत बनाओ, जबकि अल्लाह ने उन्हें अविश्वस्त कहा है ।" आदरणीय उमर (रजी अल्लाह अन्हु) ने इसी आयत से यह भावार्थ निकालते हुए कहा था । इमाम क़ुर्तबी कहते हैं, "इस समय अहले किताब को सचिव और न्यासिक बनाने के कारण ही परिस्थितियाँ बदल गयी हैं, इसी कारण मूर्ख लोग प्रमुख तथा मन्त्री बन गये हैं ।" (तफ़सीर क़ुर्तबी) दुर्भाग्य से आज

قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

तुम्हारी तबाही में कोई कसर उठा नहीं रखते, वह तो चाहते यह हैं कि तुम दुख में पड़ो ।[1] उनकी शत्रुता तो स्वयं उनके मुख से भी स्पष्ट हो चुकी है और वह जो उनके सीनों में छिपा है । वह बहुत अधिक है । हमने तुम्हारे लिए आयतों का वर्णन कर दिया तुम बुद्धिमान हो (तो विचार करो)

هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾

(११९) हाँ, तुम तो उनसे प्रेम करते हो ।[2] और वह तुमसे प्रेम नही करते, तुम पूरी किताब को मानते हो और (वह नहीं मानते फिर प्रेम कैसा ?) यह तुम्हारे समक्ष तो अपने ईमान को स्वीकार करते हैं, परन्तु एकान्त में क्रोध में ऊँगलियाँ चबाते हैं ।[3] कह दो अपने क्रोध में ही मर जाओगे । अल्लाह तआला सीनों की छुपी बातों को अच्छी तरह जानता है ।

के इस्लामी राज्य में क़ुरआन करीम के इस अत्यधिक महत्तवपूर्ण आदेश को प्रमुखता नहीं दी जा रही है और इसके विपरीत ग़ैर मुस्लिम बड़े-बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं । जिनकी हानियाँ प्रत्यक्ष हैं । यदि इस्लामी राज्य अपनी आन्तरिक और निर्देश दोनों नीतियों में इस आदेश का पालन करें तो अवश्य बहुत सी अशान्ति तथा हानियों से सुरक्षित रह सकते हैं ।

[1] لا يألون का अर्थ है आलस्य तथा कमी नहीं करेंगे । خبالا के अर्थ हैं उपद्रव और विनाश । مَا عَنِتُّم का अर्थ है जिससे तुम कठिनाई में पड़ो । عنت का अर्थ कठिनाई है ।

[2]तुम इन मुनाफ़िक़ों की नमाज़ और दिखावे के ईमान के कारण उनके विषय में धोखे में पड़ जाते हो और उनसे प्रेम करते हो ।

[3] عَضَّ يعض का अर्थ दाँत से काटने के हैं । यह उनके क्रोध की अधिकता व तीव्रता का वर्णन है, जैसाकि अगली आयत ﴿إِن تَمْسَسْكُمْ﴾ में भी उनकी इसी दशा को स्पष्ट किया जा रहा है ।

(१२०) तुम्हें यदि भलाई मिले तो उन्हें बुरा लगता है। (हाँ), यदि बुराई पहुँचे तो प्रसन्न होते हैं।[1] यदि तुम धैर्य रखो और परहेज़गारी करो, तो उनकी चाल तुम्हे हानि नहीं पहुँचायेगी।[2] अल्लाह (तआला) ने उनके कर्मों को घेर रखा है।

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ز وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ط وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ط إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾ ع

(१२१) (ऐ नबी ! उस समय को भी याद करो) जब प्रातः ही आप अपने घर से निकल कर मुसलमानों को रणक्षेत्र में लड़ाई के मोर्चे पर

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ط

---

[1]इस आयत में मुनाफ़िक़ों की उस घोर शत्रुता का वर्णन है, जो उन्हें मुसलमानों से थी और वह यह कि जब मुसलमानों को सुख-शान्ति प्राप्त होती, अल्लाह तआला की ओर से सहायता और विजय प्राप्त होती और मुसलमानों की संख्या बढ़ती, तो मुनाफ़िक़ों को बुरा लगता। और यदि मुसलमानों को कंगाल और निर्धन देखते अथवा अल्लाह तआला की इच्छा तथा किसी कारणवश शत्रु कुछ समय के लिए मुसलमानों पर प्रभावी हो जाते (जैसाकि ओहद के युद्ध में हुआ) तो अति प्रसन्न होते। इस बात को बताने का उद्देश्य तथा तात्पर्य यह है कि जिन लोगों का यह हाल है क्या मुसलमानों को उचित है कि उनसे प्रेम करें, और उन्हें अपना सलाहकार तथा मित्र बनायें ? इसीलिए अल्लाह तआला ने यहूदियों और ईसाईयों से भी मित्रता रखने से मना किया है। (जैसाकि क़ुरआन करीम में दूसरे स्थान पर है) इसीलिए कि वह भी मुसलमानों से घृणा तथा शत्रुता रखते, उनकी सफलता से अप्रसन्न और उनकी असफलता से प्रसन्न होते हैं।

[2]यह उनके छल तथा कपट से बचने का उपचार है। अर्थात द्रव्यवादियों तथा इस्लाम और मुसलमानों के शत्रुओं की चालों से बचने के लिए धैर्य तथा संयम अत्यधिक आवश्यक है। इस धैर्य और संयम की कमी ने ग़ैर मुस्लिमों की चालों को सफल बना रखा है। लोग समझते हैं कि काफ़िरों की यह सफलता भौतिक संसाधनों की अधिकता तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिक में उनकी उन्नति का परिणाम है। हालाँकि वास्तविकता यह है कि मुसलमानों के पतन का मूल कारण यही है कि वह अपने धर्म पर स्थिरता (जो धैर्य चाहता है) से वंचित तथा संयम से दूर हो गये हैं। जो मुसलमानों की सफलता का आधार तथा अल्लाह का पक्ष प्राप्त करने का मार्ग है।

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾ ठीक प्रकार से[1] बिठा रहे थे, अल्लाह तआला सुनने जानने वाला है।

إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ (१२२) जब तुम्हारे दो गिरोह ने साहस खो दिया।[2]

---

[1]अधिकतर व्याख्याकारों के निकट यह ओहद के युद्ध की घटना है, जो शव्वाल (रमज़ान के बाद का महीना जिसे ईद का महीना भी कहते हैं परन्तु वास्तविक अरबी नाम यह है) ३ हिजरी में हुई। संक्षिप्त रूप से घटना इस प्रकार है कि जब बद्र के युद्ध में २ हिजरी में मूर्तिपूजकों को अपमानजनक पराजय का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके ७० वीर योद्धा मारे गये और ७० बन्दी बना लिये गये, तो उन मूर्तिपूजकों के लिये अपमान तथा डूब मरने का स्थान था। अतएव उन्होंने मुसलमानों के विरूद्ध बदला लेने के लिए एक बहुत बड़े युद्ध की ठानी, जिसकी तैयारी में मूर्तिपूजकों की स्त्रियों ने भी भाग लिया। इधर जब मुसलमानों को यह सूचना मिली कि ओहद पहाड़ के निकट तीन हज़ार मूर्तिपूजक मुसलमानों से युद्ध करने लिए पड़ाव डाले हुए हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से विचार-विमर्श किया कि मदीना शहर के अन्दर लड़ा जाये अथवा बाहर निकलकर मुक़ाबला करें। कुछ सहाबा ने मदीना के अन्दर रहकर ही मुक़ाबिला करने का परामर्श दिया और मुनाफ़िक़ों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबैय ने भी इस विचार से सहमत किया, लेकिन इसके विपरीत कुछ साहसी सहाबा ने जिन्हें बद्र के युद्ध में भाग लेने का अवसर नहीं मिला था, उन्होंने मदीने के बाहर मुक़ाबिला करने की राय दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे में गये और हथियार तथा कवच पहनकर बाहर आये, दूसरी राय वालों को क्षोभ हुआ कि शायद हम लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इच्छा के विरूद्ध बाहर निकलने पर मजबूर करके ठीक नहीं किया। अतः उन्होंने कहा हे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ! यदि आप अन्दर रहकर मुक़ाबिला करना उचित समझें, तो अन्दर ही रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि युद्ध की पोशाक पहन लेने के पश्चात किसी नबी को उचित नहीं कि अल्लाह के निर्णय के बिना वापस हो अथवा पोशाक उतारे। अतः एक हज़ार मुसलमान युद्ध के लिए निकल पड़े, परन्तु जब यह सेना की टुकड़ी शौत नामक स्थान पर पहुँची उस समय अब्दुल्लाह बिन उबैय अपने तीन सौ साथियों के साथ यह कहकर वापस हो गया कि उसकी राय नहीं मानी गयी तो अनर्थ जान देने से क्या लाभ ? उसके इस निर्णय से सामयिक रूप से कुछ मुसलमान भी प्रभावित हो गये और उन्होंने भी कमज़ोरी का प्रदर्शन किया। (इब्ने कसीर)

[2]यह औस और खजरज के दो क़बीले (बनू हारिसा तथा बनू सलमा) थे।

اَنۡ تَفۡشَلَا ۙ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۱۲۲﴾

उनका संरक्षक अल्लाह है।[1] और उसी अल्लाह पर मुसलमानों को विश्वास करना चाहिए।

وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّ اَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ ﴿۱۲۳﴾

(१२३) और अल्लाह ने बद्र के युद्ध में तुम्हारी उस समय सहायता की जबकि तुम गिरी हुई स्थिति में थे,[2] अतः अल्लाह से डरोताकि कृतज्ञ बनो।

اِذۡ تَقُوۡلُ لِلۡمُؤۡمِنِيۡنَ اَلَنۡ يَّكۡفِيَكُمۡ اَنۡ يُّمِدَّكُمۡ رَبُّكُمۡ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الۡمَلٰٓئِكَةِ مُنۡزَلِيۡنَ ﴿۱۲۴﴾

(१२४) जब आप मुसलमानों को सांत्वना दे रहे थे, क्या तुम्हें यह काफ़ी नहीं होगा कि अल्लाह तीन हज़ार फ़रिश्ते उतार कर तुम्हारी सहायता करे।

بَلٰٓى ۙ اِنۡ تَصۡبِرُوۡا وَتَتَّقُوۡا وَيَاۡتُوۡكُمۡ مِّنۡ فَوۡرِهِمۡ هٰذَا يُمۡدِدۡكُمۡ رَبُّكُمۡ بِخَمۡسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الۡمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيۡنَ ﴿۱۲۵﴾

(१२५) क्यों नहीं ? यदि तुम धैर्य और परहेज़गारी करो और यह लोग इसी दम तुम्हारे पास आ जायें तो तुम्हारा प्रभु तुम्हारी सहायता पाँच हज़ार फ़रिश्तों से करेगा।[3] जो

---

[1]इससे ज्ञात हुआ के अल्लाह ने उनकी सहायता की और उनकी दुर्बलता को दूर करके उनको साहस दिया।

[2]संख्या और सामान की कमी के आधार पर, क्योंकि बद्र के युद्ध में मुसलमानों की संख्या ३१३ थी और वह भी बिना सामान के, केवल दो घोड़े और सत्तर ऊँट थे, शेष सभी पैदल थे। (इब्ने कसीर)

[3]मुसलमान बद्र की ओर क़ुरैश के क़ाफ़िले पर जो लगभग निहत्था था छापा मारने निकले थे। परन्तु बद्र तक पहुँचते-पहुँचते यह ज्ञात हुआ कि मक्का के मूर्तिपूजकों की एक बड़ी सेना अपने क्रोध और दुस्साहस के साथ चली आ रही है। यह सुनकर मुसलमानों में घबराहट और युद्ध करने के साहस का मिला जुला प्रभाव हुआ और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की। इस पर अल्लाह तआला ने पहले एक हज़ार फिर तीन हज़ार फ़रिश्ते उतारने की शुभ सूचना दी और इसके अतिरिक्त यह वचन भी दिया कि यदि तुम धैर्य और परहेज़गारी पर दृढ़ रहे और मूर्तिपूजक उसी क्रोध की स्थिति में आ धमके तो यह संख्या पाँच हज़ार कर दी जायेगी। कहा जाता है कि मूर्तिपूजकों का वह साहस व क्रोध दृढ़ न रह सका। (बद्र पहुँचने से पूर्व ही उनमें फूट पड़ गयी और एक गिरोह मार्ग

निशानदार होंगे।[1]

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ۭ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۱۲۶

(१२६) तथा हमने इसे तुम्हारे लिये मात्र शुभ सूचना एवं तुम्हारे दिलों के संतोष के लिए बनाया अन्यथा सहायता तो सर्वशक्तिमान ज्ञानी अल्लाह की ओर से ही होती है।

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَاۗىِٕـبِيْنَ ۱۲۷

(१२७) (इस अल्लाह की सहायता का उद्देश्य यह था कि अल्लाह) मूर्तिपूजकों के एक गिरोह को काट दे अथवा अपमानित कर दे। और वह असफल होकर लौटें।[2]

ही से मक्का लौट गया, और शेष जो बद्र तक आये उनमें से अधिकतर सरदारों की राय थी कि युद्ध न किया जाये)। इसलिए शुभ सूचना के अनुसार तीन हज़ार फ़रिश्ते उतारे गये। और पांच हज़ार की संख्या पूरी करने की आवश्यकता न रही। और कहा जाता है कि बल्कि यह संख्या पूरी की गयी।

[1] अर्थात पहचान के लिए विशेष चिन्ह होंगे।

[2] यह अजेय एवं प्रभावशाली अल्लाह की सहायता का परिणाम बताया जा रहा है। सूरः *अल-अंफ़ाल* में फ़रिश्तों की संख्या एक हज़ार बतायी गयी है।

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ ﴾

"जब तुम अपने प्रभु से गुहार कर रहे थे, अल्लाह तआला ने तुम्हारी विनती सुनते हुए कहा कि एक हज़ार फ़रिश्तों से तुम्हारी सहायता करूँगा।" (*अल-अंफ़ाल*-९)

इससे ज्ञात हुआ कि वास्तव में फ़रिश्ते एक हज़ार ही उतरे। और मुसलमानों से तीन हज़ार और पांच हज़ार का प्रतिबन्धित वायदा किया गया। फिर परिस्थितियों के कारण मुसलमानों को सांत्वना की दृष्टी से भी उनकी आवश्यकता नहीं समझी गयी इसलिए कुछ व्याख्याकारों के निकट यह तीन हज़ार और पांच हज़ार फ़रिश्ते नहीं उतरे उद्देश्य तो साहस को बढ़ाना था, वरन वास्तविक सहायक तो अल्लाह तआला ही था और वह अपनी सहायता के लिए फ़रिश्तों अथवा किसी का आधीन नहीं है। अतः उसने मुसलमानों की सहायता की और बद्र के युद्ध में मुसलमानों को ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई। कुफ़्र की शक्ति क्षीण हुई और काफ़िरों का गौरव मिट्टी में मिल गया। (ऐसरुत्तफ़ासीर)

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿١٢٨﴾

(१२८) (हे पैग़म्बर) आप के वश में कुछ नहीं[1] अल्लाह (तआला) चाहे तो उनकी क्षमा स्वीकार कर ले ।[2] अथवा यातना दे, क्योंकि वे अत्याचारी हैं ।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾

(१२९) आसमानों और धरती में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है । वह जिसे चाहे क्षमा करे और जिसे चाहे यातना दे । और अल्लाह (तआला) क्षमी कृपालु है ।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوٰٓا أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

(१३०) ऐ ईमानवालो ! दुगुना तिगुना कर ब्याज न खाओ ।[3] और अल्लाह (तआला) से डरो ताकि तुम्हें मोक्ष मिले ।

---

[1]अर्थात उन काफ़िरों को मार्गदर्शन देना अथवा उनके विषय में किसी प्रकार का निर्णय करना अल्लाह के वश में है । हदीस में आता है कि ओहद के युद्ध में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाँत भी शहीद हुए और चेहरा भी ज़ख़्मी हुआ तो आप ने कहा कि, "वह क़ौम किस प्रकार सफल होगी जिसने अपने नबी को घायल कर दिया ।" अर्थात आपने उनके मार्गदर्शन से निराशा व्यक्त की । इस पर यह आयत उतरी । इस प्रकार कुछ कथनों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ काफ़िरों के लिए क़ुनूते नाज़िल: का प्रबन्ध किया जिसमें उनके लिये अभिशाप दिया । जिस पर यह आयत अल्लाह तआला ने उतारी । अत: आपने अभिशाप बन्द कर दिया । (इब्ने कसीर व फ़तहुल क़दीर)

इस आयत से उन लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर्वाधिकारी मानते हैं कि उनको इतना भी अधिकार नहीं था कि किसी को सत्य मार्ग पर लगा दें । यद्यपि कि आप मार्ग की ओर बुलाने के लिये भेजे गये थे ।

[2]यह जाति जिनके लिए अभिशाप करते रहे अल्लाह ने उन्हें मुसलमान कर दिया । जिससे विदित हुआ कि सभी एकाधिपति और परोक्षज्ञ अल्लाह है ।

[3]चूँकि ओहद के युद्ध में असफलता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों का पालन न करने और सांसारिक धन से लोभ कें कारण हुई थी । इसलिए अब दुनिया के लोभ की सबसे अधिक भयानक और स्थाई रूप ब्याज से मना किया जा रहा है । और आज्ञा पालन पर बल दिया जा रहा है । और बढ़ा-चढ़ा कर ब्याज न खाओ का यह कदापि अर्थ नहीं है कि यदि साधारण ब्याज है तो उचित है । बल्कि ब्याज थोड़ा हो अथवा अधिक

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾

(१३१) और उस आग से डरो जो काफ़िरों के लिए तैयार की गयी है।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

(१३२) और अल्लाह और उसके रसूल के आदेशों का पालन करो। ताकि तुम पर कृपा की जाये।

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾

(१३३) और अपने प्रभु की क्षमा की ओर और उस स्वर्ग की ओर दौड़ो[1] जिसकी चौड़ाई आसमानों और धरती के बराबर है, जो परहेज़गारों के लिए तैयार की गयी है।

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ

(१३४) जो लोग सुविधा में और कठिनाई में (भी अल्लाह के मार्ग में) व्यय करते हैं।[2] क्रोध को पी जाते हैं, और लोगों को क्षमा

अकेला हो अथवा मिश्रित कदापि अनुचित है जैसा कि पहले गुज़र चुका है। यह वर्जित की सीमा के लिए अनुबन्धन नहीं बल्कि परिस्थिति के कारण है जो उस समय प्रचलित थी उसका वर्णन और स्पष्टीकरण है। अज्ञान काल में ब्याज का यह रिवाज सामान्य था कि जब भुगतान का समय आ जाता और भुगतान सम्भव न होता तो समय बढ़ाने के लिए ब्याज की दर में वृद्धि होती चली जाती, जिससे छोटा सा मूलधन बढ़-चढ़ कर कहीं से कहीं पहुँच जाता और एक सामान्य आदमी के लिए चुकता करना असम्भव हो जाता। अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि अल्लाह से डरो और उस आग से डरो जो काफ़िरों के लिए तैयार की गयी है। जिससे यह चेतावनी भी है कि यदि ब्याज लेने से न रुके तो यह कर्म तुम्हें कुफ़्र तक पहुँचा सकता है क्योंकि ऐसा करना अल्लाह तथा उसके रसूल से संघर्ष की घोषणा है।

[1]धन-दौलत और दुनिया के पीछे लगकर आख़िरत (परलोक) नष्ट करने के बजाय अल्लाह और रसूल के आदेशों का पालन करो और अल्लाह की क्षमा और उसके स्वर्ग का मार्ग अपनाओ जो आज्ञापालकों के लिए बनायी गयी है। इसलिए आगे आज्ञापालकों की कुछ विशेषतायें बतायी गयीं हैं।

[2]अर्थात मात्र सुख में ही नहीं, अपितु दुःख के समय में भी व्यय करते हैं। तात्पर्य यह है कि हर दशा और परिस्थिति में अल्लाह के मार्ग में व्यय करते हैं।

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝١٣٤

करने वाले हैं।[1] अल्लाह उन सत्कर्मियों को मित्र रखता है।

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝١٣٥

(१३५) जब उनसे कोई असभ्य कार्य हो जाये अथवा कोई पाप कर बैठें, तो शीघ्र ही अल्लाह की उपासना और अपने पापों के लिए क्षमा-याचना करते हैं।[2] और वास्तव में अल्लाह (तआला) के अतिरिक्त पापों को कौन क्षमा कर सकता है, तथा वे जानते हुये अपने कृत्य पर दुराग्रह नहीं करते।

أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۝١٣٦

(१३६) इन्हीं का प्रत्युपकार उन के पालनहार की ओर से क्षमा एवं बाग़ है जिनके नीचे नहरें प्रवाहित रहती हैं जिसमें वह सदा निवास करेंगे तथा सदाचारियों का यह कितना उत्तम प्रतिफल हैं।

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝١٣٧

(१३७) तुमसे पहले से नियम चला आ रहा है, तुम धरती में यात्रा करो तथा देखो कि जो अल्लाह की आयतों को नहीं माने उनका अन्त कैसा हुआ।[3]

---

[1]अर्थात जब उन्हें क्रोध आता है, तो उसे पी जाते हैं अर्थात क्रोधानुसार काम नहीं करते और उन्हें क्षमा कर देते हैं, जो उनके साथ बुराई करते हैं।

[2]अर्थात उनके मनुष्य होने के कारण जब उनसे कोई पाप अथवा ग़लती हो जाती है, तो तुरन्त क्षमा-याचना करने लगते हैं।

[3]ओहद के युद्ध में मुसलमानों की सेना की संख्या ७ सौ थी, जिनमें पचास धनुषधरों का एक दल था, आप ने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की अगुवाई में उसे एक पर्वत पर नियुक्त कर दिया तथा सावधान कर दिया कि चाहे हमारी विजय हो अथवा पराजय तुम यहाँ से न हिलना तथा तुम्हारा काम यह है कि जो घोड़ा सवार तुम्हारी ओर आये उसे वाण से पीछे ढ़केल देना किन्तु जब मुसलमान विजयी हो गये तथा धन सामान एकत्र करने लगे तो इस दल

هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

(१३८) यह मानव जाति के लिये एक वर्णन तथा संयमीजनों के लिये मार्ग दर्शन एवं शिक्षा है।

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

(१३९) तुम साहस न खोओ, न चिन्ता करो, यदि तुम ईमानदार हो तो तुम्हीं विजयी होगे।[1]

إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ

(१४०) (इस युद्ध में) यदि तुम आहत हुये हो तो वह भी (बद्र के युद्ध में) इसी प्रकार आहत हुये हैं तथा इन दिनों को हम लोगों के बीच अदलते-बदलते रहते हैं,[2] ताकि अल्लाह ईमान वालों को (अलग करके) देख ले, तथा तुममें

में विभेद हो गया कुछ लोग कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश का प्रयोजन यह था कि लड़ाई होती रहे तो यहाँ अडिग रहना किन्तु जब लड़ाई समाप्त हो गई तथा मिश्रणवादी भाग रहे हैं तो यहाँ रहना अनिवार्य नही है और उन्होंने भी वहाँ से हटकर धन सामग्री एकत्रित करना आरम्भ कर दिया तथा वहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज्ञा पालन में केवल दस लोग शेष रह गये। जिसका लाभ काफिरों ने उठाया और उनके घुड़सवारों नें पलट कर यहीं से मुसलमानों के पीछे से प्रहार कर दिया। जिससे बिखराव हो गया तथा इस अकस्मात कड़े प्रहार से मुसलमान अति व्याकुल हो गये। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि सत्तर मुसलमान मारे गये, तथा बहुत से आहत हो गये। जिससे मुसलमानों को स्वभाविक रूप से बड़ा दुःख हुआ। इन आयात में अल्लाह (परमेश्वर) मुसलमानों को सांत्वना दे रहा है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ कोई नई बात नहीं, पहले के रसूल (ईशदूत) के निवर्तियों का भी ऐसा ही हाल हुआ है।

[1]विगत युद्ध में तुम्हें जो हानि हुई है न उसके कारण आलस्य करो न उस पर क्षोभ करो क्योंकि यदि तुममें विश्वास की भावना जागृत रही तो विजयी एवं सफल तुम्हीं होगे इसमें अल्लाह ने मुसलमानों के बल का मूल भेद तथा उनकी सफलता का आधार बता दिया है और वास्तविकता यह है कि इसके बाद मुसलमान प्रत्येक रण क्षेत्र में सफल रहे।

[2]एक और प्रकार से मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही है कि यदि ओहद में तुम्हारे कुछ लोग घायल हुये हैं तो क्या हुआ? तुम्हारे विरोधी भी तो बद्र के रण में तथा ओहद के आरम्भ में इसी प्रकार आहत हो चुके हैं तथा यह अल्लाह की रीति है कि वह विजय पराजय के दिनों को बदलता रहता है। कभी विजित को पराजित कभी पराजित को विजित कर देता है।

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّٰلِمِينَ ﴿١٤٠﴾

से कुछ को शहीद बना दे, तथा अल्लाह अत्याचारियों से प्रेम नहीं करता।

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَٰفِرِينَ ﴿١٤١﴾

(१४१) और ताकि अल्लाह मोमिनों को अलग कर ले तथा अविश्वासियों का सत्यानाश कर दे।[1]

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَٰهَدُوا مِنكُمْ

(१४२) क्या तुमने सोचा है कि स्वर्ग में प्रवेश कर जाओगे[2] हालाँकि अभी अल्लाह ने यह नहीं

---

[1]ओहद में मुसलमानों को जो सामयिक पराजय हुई वह उनके अपने आलस्य के कारण हुई इसमें भी भविष्य के लिये कई अच्छाईयाँ हैं जिनका वर्णन आगे अल्लाह तआला कर रहा है। एक यह कि अल्लाह ईमानवालों को जान ले (क्योंकि धैर्य तथा स्थिरता ईमान का अभियावन है) युद्ध की कठिनाईयों एवं आपदाओं में जिसने धैर्य एवं स्थिरता दिखाई वह सब मोमिन (विश्वासयुक्त) हैं। दूसरी यह कि कुछ लोगों को शहादत पद पर पदासीन कर दे, तीसरी यह कि ईमानवालों को पापों से स्वच्छ कर दे। تَمْحِيص (तम्हीस) का एक अर्थ निर्वाचित कर लेना लिया गया है तथा एक अर्थ पवित्र करना एवं एक अर्थ मुक्त करना है। अन्तिम दोनों का अभिप्राय पापों से शुद्धि एवं मुक्ति है (फ़तहुल क़दीर) अनुवादक ने प्रथम अर्थ लिया है चौथी यह कि काफ़िरों (अधर्मियों) को मिटा दे, क्योंकि इसी प्रकार सामयिक विजय से उनकी दुष्टता एवं अहंकार बढ़ेगा जो उनके विनाश का हेतु बनेगा।

[2]अर्थात बिना लड़े तथा बिना कड़ी परीक्षा के तुम स्वर्ग में चले जाओगे ? नहीं स्वर्ग उनको मिलेगी जो परीक्षा में पूरे उतरेंगे जैसा कि अन्य स्थान पर कहा है।

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا ﴾

"क्या तुम ने सोचा है कि तुम स्वर्ग में चले जाओगे और अभी तुम पर वह दशा नहीं आई जो पूर्व के लोगों पर आई उन्हें दरिद्रता एवं दुःख पहुँचे तथा वे ख़ूब झिंझोड़े गये"। (*सूरः बक़रः-२१४*)

यह भी कहा।

﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾

"क्या लोग इस भ्रम में हैं कि मात्र यह कहने पर त्याग दिये जायेंगे कि हम ईमान लाये तथा उनकी परीक्षा नहीं ली जायेगी। (*अल-अन्कबूत-२*)

وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٢﴾

देखा है कि कौन तुममें धर्मयुद्ध (जिहाद) करते हैं और कौन धैर्य रखते हैं।[1]

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ۖ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿١٤٣﴾

(१४३) तुम इससे पूर्व मौत की कामना करते थे[2] अब तो तुमने उसे आँखों से देख लिया।[3]

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ۗ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ

(१४४) तथा मुहम्मद तो मात्र एक ईशदूत हैं,[4] इससे पूर्व बहुत से ईशदूत गुज़रे हैं तो यदि वह मर जायें अथवा मार दिये जायें तो क्या तुम (इस्लाम) से एड़ीयों के बल फिर जाओगे और जो कोई अपनी एड़ी के बल

---

[1]यह विषय सूर: बक़र: में आ चुका है किन्तु प्रसंग से लगाव के कारण यहाँ फिर बताया जा रहा है कि स्वर्ग में प्रवेश यूँ ही नहीं मिल जायेगा इसके लिए तुम्हें परीक्षा अग्नि से पार कराई तथा रण क्षेत्र में परीक्षा ली जायेगी कि वहाँ तुम शत्रुओं के समूह में घिर कर साहस एवं सहन तथा स्थिरता दिखाते हो अथवा नहीं ?

[2]यह संकेत उन सहाबा (सहचरों) की ओर है जो बद्र के रण में भाग न ले सके इस कारण वह वंचना का एक संवेदन रखते थे तथा चाहते थे कि लड़ाई हो तो वह भी काफ़िरों से लड़कर धर्मयुद्ध की प्रधानता प्राप्त करें। इन्हीं सहचरों ने ओहद के युद्ध में धर्मयुद्ध की उत्तेजना में मदीने से बाहर निकलकर लड़ने का परामर्श दिया था, किन्तु जब मुसलमानों की विजय काफ़िरों के सहसा प्रहार से पराजय में बदल गई तो यह उत्तेजित मुजाहिदीन व्याकुल हो गये तथा भागने लगे जैसाकि इसका विवरण आगे आ रहा है तथा बहुत थोड़े ही लोग अडिग रह गये, (फ़तहुल क़दीर) इसी कारण हदीस में आता है कि "शत्रु से मुठभेड़" की कामना न करो तथा अल्लाह से शान्ति की प्रार्थना करो फिर भी यदि स्वयं परिस्थिति ऐसी बन जाये कि तुम्हें शत्रु से लड़ना पड़े तो फिर अडिग रहो तथा यह बात जान लो कि स्वर्ग तलवारों की छाया तले है। (सहीहैन, उदघृत इब्ने कसीर)

[3] رأيتموه तथा تنظرون प्रयायवाची हैं जो बल देने के लिए दो शब्द लाये गये हैं अर्थात तलवारों की चमक तीरों की वर्षा तथा वीरों की पंक्तियों में तुमने मौत को भली-भाँति देख लिया (इब्ने कसीर व फ़तहुल कदीर)

[4]मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मात्र रसूल (ईशदूत) ही हैं अर्थात उनकी विशेषता भी दूतत्व है यह नहीं कि वह मानवीय विशेषताओं से उच्च एवं ईश्वरीय गुणों से युक्त हैं कि उन्हें मृत्यु से पाला न पड़े।

يَّضُرَّ اللَّهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾

फिर जाये वह अल्लाह को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा,[1] तथा अल्लाह कृतज्ञों को शीघ्र प्रतिकार देगा ।[2]

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۗ وَسَنَجْزِي الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٥﴾

(१४५) और बिना अल्लाह तआला के आदेश के कोई जीव नहीं मर सकता । निर्धारित समय लिखा हुआ है । दुनिया से प्रेम करने वालों को हम कुछ दुनिया प्रदान कर देते हैं और आख़िरत का पुण्य चाहने वालों को हम वह भी प्रदान करेंगे ।[3] और कृतज्ञता व्यक्त करने वालों को हम शीघ्र ही अच्छा बदला देंगे ।

---

[1]ओहद की पराजय का एक कारण यह भी था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संदर्भ में काफ़िरों ने यह गप उड़ा दिया था कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) हत कर दिये गये, मुसलमानों में जब यह ख़बर फैली तो इससे कुछ मुसलमान साहस हीन हो गये तथा लड़ाई से पीछे हट गये उस पर यह आयत उतरी कि नबी का हत हो जाना अथवा उस पर मौत आ जाना कोई नई बात तो नहीं है अतीत में भी अम्बिया हत एवं मौत से आलिंगित हुये हैं । यदि मान भी लें कि आप इससे दो चार हो जायें तो क्या तुम उस धर्म ही से फिर जाओगे याद रखो कि जो फिर जायेगा वह स्वयं अपनी हानि करेगा अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा । नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के निधन की घटना के समय जब आदरणीय उमर (रज़ी अल्लाह अन्हु) अति भावुक हो कर नबी के निधन को नकार रहे थे तो आदरणीय अबू बक्र (रज़ी अल्लाह अन्हु) अति सावधानी से काम लेते हुये रसूल (ईशदूत) के धर्म मंच की एक ओर खड़े हो गये तथा यही आयत पढ़ी, जिससे आदरणीय उमर भी प्रभावित हुये एवं उन्हें लगा कि यह आयत तत्काल उतरी हैं ।

[2]अर्थात युद्ध में डटे रहने वालों को जिन्होंने धैर्य और बहादुरी का प्रदर्शन कर अल्लाह का शुक्र अदा किया ।

[3]यह क्षीणता और कायरता का प्रदर्शन करने वालों के साहस को बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि मृत्यु तो अपने समय पर आकर रहेगी । फिर भागने तथा कायरता दिखाने से क्या लाभ है ? इसी प्रकार केवल दुनिया माँगने से कुछ दुनिया तो मिल जाती है, परन्तु आख़िरत में कुछ न मिलेगा । परन्तु इसके विपरीत आख़िरत के माँगने वालों को आख़िरत की सभी चीज़े प्राप्त होंगी ही, दुनिया भी अल्लाह तआला उन्हें प्रदान करता है । आगे कुछ

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾

(१४६) और बहुत से नबियों के साथ बहुत से अल्लाह वाले धर्म युद्ध कर चुके हैं, उन्हें भी अल्लाह के मार्ग में दुख पहुंचे, परन्तु न तो उन्होंने साहस खोया न आलसी रहे और न प्रभावित हुए और अल्लाह धैर्य रखने वालों को ही चाहता है।[1]

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾

(१४७) और वह यही कहते रहे कि हे प्रभु हमारे पापों कोक्षमा कर दे और हमसे हमारे कामों में अकारण ज्यादती हुई हो, उसे माफ़ कर और हमें दृढ़ता प्रदान कर और हमें काफ़िरों की क़ौम पर सहायता प्रदान कर।

فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

(१४८) अल्लाह तआला ने उन्हें दुनिया का पुण्य प्रदान किया और आख़िरत के पुण्य की विशेषता भी प्रदान की और अल्लाह तआला सत्कर्मियों को मित्र रखता है।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

(१४९) हे ईमानवालो ! यदि तुम काफ़िरों की बातें मानोगे तो वह तुम्हें तुम्हारी एड़ी के बल पलटा देंगे (अर्थात तुम्हें मुर्तद्द(धर्मभ्रष्ट) बना देंगे) फिर तुम हानि में हो जाओगे।

بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥٠﴾

(१५०) बल्कि अल्लाह (तआला) तुम्हारा मालिक है और वही श्रेष्ठ सहायक है।[2]

और साहस बढ़ाने और सांत्वना के लिए पिछले नबियों और उनके अनुयायियों के धैर्य और दृढ़ता का उदाहरण दिया जा रहा है।

[1]अर्थात उनको जो युद्ध की तीव्रता में साहस नहीं खोते और दुर्बलता एवं क्षीणता का प्रदर्शन नहीं करते।

[2]यह विषय पहले भी गुज़र चुका है। यहाँ फिर पुनरावृत्ति हो रही है क्योंकि ओहद में पराजय से लाभ उठाकर कुछ काफ़िर अथवा मुनाफ़िक़ मुसलमानों को यह परामर्श दे

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۖ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۚ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ

(१५१) हम निकट भविष्य में काफ़िरों के दिलों में भय डाल देंगे, इस कारण से कि वे अल्लाह के साथ उन चीज़ों को साझी करते हैं, जिसका कोई तर्क अल्लाह ने नहीं उतारा ।[1] उनका ठिकाना नरक है, और उन अत्याचारियों का बुरा स्थान है ।

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ

(१५२) और अल्लाह (तआला) ने अपना वायदा सच्चा कर दिखाया जबकि तुम उसके आदेश से उन्हें काट रहे थे ।[2] यहाँ तक कि जब तुम

रहे थे कि तुम अपने पूर्वजों के धर्म पर लौट आओ । ऐसे में मुसलमानों को कहा जा रहा है कि काफ़िरों के परामर्श का पालन करना भी तुम्हारी बरबादी और हानि का कारण है । सफलता अल्लाह के आदेशों के पालन में ही है । और उससे श्रेष्ठ कोई सहायक नहीं है ।

[1]मुसलमानों की पराजय देखते हुए कुछ काफ़िरों के दिलों में यह विचार आया कि यह मुसलमानों के धर्म भ्रष्ट करने का अच्छा अवसर है । इस अवसर पर अल्लाह तआला ने उनके दिलों में मुसलमानों का भय डाल दिया, फिर उन्हें अपने इस विचार को क्रियान्वित करने का साहस न रहा । (फ़तहुल क़दीर) सहीहैन की हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुझे पाँच चीज़ें ऐसी प्रदान की गयी हैं, जो मुझसे पूर्व किसी नबी को नहीं प्रदान की गयी उनमें एक यह है कि نُصِرتُ بالرعب مسيرة شهر "शत्रु के दिल में एक माह की दूरी तक मेरा भय डालकर, मेरी सहायता की गयी है ।"

इस हदीस से ज्ञात हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भय स्थाई रूप से शत्रुओं के दिलों में डाल दिया गया । इस आयत से ज्ञात होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप की उम्मत अर्थात मुसलमानों का भी भय मूर्तिपूजकों के दिलों में डाल दिया गया है, इसका कारण उनका शिर्क है । अर्थात मूर्तिपूजकों का दिल दूसरों के भय से काँपता रहता है शायद यही कारण है कि मुसलमानों की एक बड़ी संख्या मूर्तिपूजकों की तरह के विश्वास और कर्म के कारण ही शत्रु उनसे भयभीत होने के बजाय वह शत्रुओं से भयभीत हैं ।

[2]इस वायदे से कुछ व्याख्याकारों ने तीन हज़ार और पाँच हज़ार फ़रिश्तों का उतरना भावार्थ लिया है । लेकिन यह विचार उचित नहीं है, बल्कि सहीह यह है कि फ़रिश्तों का उतरना केवल बद्र के युद्ध के साथ विशेषरूप से सम्बन्धित था । शेष रहा वह वायदा जो इस आयत में वर्णित किया गया है, उससे तात्पर्य विजय का वह सामान्य वायदा है जो

وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

अपना साहस खो रहे थे और काम में झगड़ने लगे। और अवज्ञा की[1] उसके बाद कि उसने तुम्हारी प्रिय चीज़ें तुम्हें दिखा दीं।[2] तुममें से कुछ दुनिया चाहते थे।[3] और कुछ का आख़िरत का विचार था।[4] तो फिर उसने तुम्हें उनसे फेर दिया ताकि तुम्हारी परीक्षा ले।[5] और अवश्य उसने तुम्हारे विचलन को क्षमा कर दिया और ईमानवालों पर अल्लाह (तआला) अति कृपालु है।[6]

मुसलमानों के लिए और उसके रसूल की ओर से बहुत पहले किया जा चुका था। यहाँ तक कि कुछ आयतें मक्का में उतर चुकी थीं और उसके अनुसार प्रारम्भ में मुसलमान प्रभावशाली तथा विजयी रहे। जिसकी ओर ﴿إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ﴾ से संकेत किया गया है।

[1]इस तनाव तथा अवज्ञाकारिता से तात्पर्य ५० धनुर्धारियों का वह मतभेद है, जो विजय तथा प्रभाव देखकर उनके अन्दर उत्पन्न हुआ और जिसके कारण काफ़िरों को पुनः पलट कर हमला करने का समय मिल गया।

[2]इससे तात्पर्य वह विजय है जो प्रारम्भ में मुसलमानों को प्राप्त हुई।

[3]अर्थात युद्ध का परिहार, जिसके लिए उन्होंने पहाड़ी छोड़ दी, जिसके न छोड़ने की उन्हें विशेषरूप से कहा गया था।

[4]यह वह लोग हैं, जिन्होंने मोर्चा छोड़ने से मना किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशानुसार उसी स्थान पर दृढ़ता से डटे रहने का प्रयत्न किया।

[5]अर्थात विजय देने के बाद फिर तुम्हें पराजय देकर उन काफ़िरों से फेर दिया ताकि तुम्हारी परीक्षा ली जा सके।

[6]इसमें सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की उस विशेषता तथा श्रेष्ठता का वर्णन है, जो उनकी कमियों के बाद भी अल्लाह ने उन पर फ़रमाया अर्थात उनकी ग़लतियों का स्पष्टीकरण करके कि भविष्य में ऐसा न करें, अल्लाह ने उनके लिए क्षमा घोषित कर दिया ताकि कोई दुर्भाषी उन पर लांछन न लगा सके। जब अल्लाह तआला ने ही क़ुरआन करीम में उनके लिए सामान्य क्षमा घोषित कर दिया, तो अब किसी को कलंकित अथवा लांछन लगाने का कोई अवसर कहाँ रह गया? सहीह बुख़ारी में एक

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾

(१५३) जबकि तुम चढ़े चले जा रहे थे[1] कसी की ओर ध्यान तक नहीं करते थे और अल्लाह के रसूल तुमको पीछे से पुकार रहे थे ।[2] बस तुम्हें दुख पर दुख पहुँचा[3] ताकि तुम अपनी खोयी (विजय) पर शोक न करो और न उस (आघात) पर जो तुम्हें पहुँचा[4] और अल्लाह

घटना का वर्णन है कि एक हज के अवसर पर एक व्यक्ति ने आदरणीय उस्मान (रज़ी अल्लाह अन्हु) पर कुछ आक्षेप लगाये कि वह बद्र के युद्ध में तथा बैएत-रिज़वाँ में सम्मिलित नहीं हुए । और ओहद के युद्ध के दिन भाग लिये थे । आदरणीय इब्ने उमर (रज़ी अल्लाह अन्हुमा) ने कहा कि बद्र के युद्ध में उनकी पत्नी (रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुत्री) बीमार थीं, बैएत-रिज़वाँ के अवसर पर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूत बन कर मक्का गये थे (उन्हीं की मृत्यु की सम्भावित सूचना पाकर ही तो मुसलमानों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म के हाथ पर बैअत की थी, जिसका नाम बैएत-रिज़वाँ है) और ओहद वाले दिन की भगदड़ को अल्लाह ने क्षमा कर दिया है (संक्षिप्त रूप से सहीह बुख़ारी, ग़ज़वः ओहद)

[1]काफ़िरों के असम्भावित सहसा हमले के कारण मुसलमानों में जो भगदड़ मच गयी और मुसलमानों का बहुमत जो भाग खड़ा हुआ यह उसक चित्रण किया जा रहा है تُصعدون शब्द إصْعاد से उत्पन्न है, जिसका अर्थ अपनी गति भाग जाने अथवा घाटी की ओर चढ़ जाने अथवा भागने के हैं । (तबरी)

[2]नवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ साथियों के साथ पीछे रह गये और मुसलमानों को पुकारते रहे ! إليَّ عباد الله ! إليَّ عباد الله "अल्लाह के भक्तों ! मेरी ओर लौट कर आओ, अल्लाह के भक्तों ! मेरी ओर पलट कर आओ ।" लेकिन भगदड़ की इस अवस्था में यह पुकार कौन सुनता है ?

[3] فأثابكم तुम्हारे आलस्य के बदले में तुम्हें दुख पर दुख दिये । इब्ने जरीर और इब्ने कसीर द्वारा प्रयुक्त कथनानुसार पहले दुख से तात्पर्य युद्ध में एकत्रित धन और काफ़िरों पर प्राप्त विजय से वंचित होना और दूसरे दुख से तात्पर्य है मुसलमानों की शहादत, उनका घायल होना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों की अवहेलना तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का समाचार मिलने पर दुख ।

[4]अर्थात यह दुख पर दुख इसलिए दिया ताकि तुम्हारे अन्दर दुःख सहन करने की शक्ति और दृढ़ निश्चय तथा साहस पैदा हो । जब यह शक्ति और साहस पैदा हो जाता है, तो

(तआला) तुम्हारे सारे कर्मों को जानता है।

(१५४) फिर उस दुख के बाद तुम्हें शान्ति उतारी और तुममें से एक गिरोह को शान्ति की निद्रा आने लगी।[1] और हाँ, कुछ वह लोग भी थे जिन्हें अपनी जानों की पड़ी थी।[2] वह अल्लाह तआला के प्रति अनुचित मुर्खता जैसा कुविचार करने लगे।[3] और कहते थे कि हमें भी कुछ अधिकार है[4] आप कह दीजिए काम तो कुल का कुल अल्लाह के वश में है।[5] यह

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ لا وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ط يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ط قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ط يُخْفُوْنَ فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ط

फिर मनुष्य को खोई वस्तु पर दुख नहीं होता, कठिनाई पर किसी प्रकार की आधीरता नहीं होती है।

[1]वर्णित व्यग्रता के पश्चात अल्लाह तआला ने फिर मुसलमानों पर अपनी कृपा की और रणक्षेत्र के शेष बचे डटे रहे मुसलमान पर ऊँघ आच्छादित कर दी। यह ऊँघ अल्लाह तआला की ओर से शान्ति और विजय का लक्षण थी। आदरणीय अबू तलहा (रज़ी अल्लाह अन्ह) फ़रमाते हैं कि मैं भी उन लोगों में था जिन पर ओहद के दिन ऊँघ छाई जा रही थी, यहाँ तक कि मेरे हाथ से मेरी तलवार कई बार गिर गयी। मैं उसे पकड़ता, वह फिर गिर जाती, फिर पकड़ता, फिर गिर जाती। (सहीह बुख़ारी)

[2]इससे तात्पर्य अवसरवादी हैं। स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थिति में उनको, तो अपनी जानों की ही पड़ी थी।

[3]वह यह थीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन असत्य है, यह जिस धर्म का निमन्त्रण दे रहे हैं, उसका भविष्य ठीक नहीं है, उन्हें अल्लाह की सहायता प्राप्त नहीं है, आदि।

[4]अर्थात क्या अब हमारे लिए अल्लाह तआला की ओर से किसी प्रकार विजय की सम्भावना है ? अथवा यह कि क्या हमारी भी कोई बात चल सकती है ? और मानी जा सकती है ?

[5]तुम्हारे अथवा शत्रु के वश में नहीं है, सहायता भी उसकी ओर से आयेगी और सफ़लता भी उसके आदेश से होगी, आदेश और निषेधाज्ञा भी उसी का होगा।

يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَٰهُنَا ۗ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۖ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾

लोग अपने दिलों के भेद आपको नहीं बताते ।[1] कहते हैं कि यदि हमें कुछ भी अधिकार होता तो यहाँ हत न किये जाते ।[2] आप कह दीजिए कि यदि तुम अपने घरों में होते तो भी जिनके भाग्य में हत होना था वह हत्या के स्थान की ओर चल खड़े होते ।[3] अल्लाह (तआला) को तुम्हारे अन्त:करण की परीक्षा करनी थी और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उससे पवित्र करना था ।[4] और अल्लाह (तआला) अन्तर्यामी है (दिलों के भेद भली-भाँति जानता है) ।[5]

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ

(१५५) तुममें से जिन लोगों ने उस दिन पीठ दिखाई जिस दिन दोनों गिरोहों में मुठभेड़ हुई थी । यह लोग अपने कुछ कर्मों के कारण शैतान

---

[1]अपने दिलों में द्वयवाद छिपाये हुए हैं । स्पष्ट यह करते हैं कि वह सत्य पथ की इच्छा करते हैं ।

[2]यह वह आपस में कहते हैं, अथवा दिल में कहते हैं ।

[3]अल्लाह तआला ने फ़रमाया, "इस प्रकार की बातों का क्या लाभ ? मृत्यु हर दशा में आनी है । जहाँ अल्लाह की ओर से लिख दी गयी है । यदि तुम घरों में बैठे हुए होते और तुम्हारी मृत्यु किसी हत्या के स्थान पर लिखी होती, तो तुम्हें तुम्हारी मृत्यु वहाँ खींच ले जाती ।"

[4]यह जो कुछ भी हुआ उसका एक उद्देश्य यह भी था कि तुम्हारे सीनों में जो कुछ है अर्थात ईमान, उसकी परीक्षा ले (ताकि अवसरवादी अलग हो जायें) और फिर तुम्हारे दिलों को शैतानी शंका से पवित्र कर दे ।

[5]अर्थात उसको तो ज्ञान है कि नि:स्वार्थी मुसलमान कौन है ? और अवसरवाद का पर्दा किसने डाल रखा है ? धर्मयुद्ध के अनेक विशेषताओ में से एक विशेषता यह है कि इससे मुनाफ़िक़ और मुसलमान खुलकर सामने आ जाते हैं, जिन्हें आम जनता भी फिर देख और पहचान लेती है ।

وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٥٥﴾

के बहकावे में आ गये,[1] परन्तु विश्वास करो कि अल्लाह ने उन्हें क्षमा कर दिया।[2] अल्लाह तआला क्षमा करने वाला धैर्य वाला है।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوْا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً

(१५६) हे मुसलमानों ! तुम उनके भाँति न बनो जो कृतघ्न हो गये तथा उनके भाईयों ने जब धरती में यात्रा की अथवा धर्मयुद्ध के लिये निकले तो कहा कि यदि वह हमारे पास रहते तो उन्हें मौत न आती न उनकी हत्या होती.[3] (उनके इस विचार का कारण यह है कि) अल्लाह इसे उनके दिलों के शोक का कारण बना दे[4] तथा

---

[1]अर्थात ओहद में मुसलमानों से जो चूक और कमी हुई। उसका कारण उनकी पिछली कुछ निर्बलतायें थीं जिसके कारण उस दिन शैतान उन्हें फिसलाने में सफल हो गया। जिस प्रकार कुछ सलफ़ (पूर्वजनों) का कथन है कि पुण्य का फल यह भी है कि उसके पश्चात और पुण्य करने का बल मिलता है और बुराई का कुफल यह है कि उसके बाद और बुराई करने के द्वार खुल जाते हैं अर्थात पुंण्य से पुण्य का और पाप से पाप का मार्ग खुलता और सरल होता है।

[2]अल्लाह तआला सहाबा की चूकों के परिणाम और कारणों के पश्चात अपनी ओर से क्षमा की घोषणा कर रहा है। जिससे एक तो उनका अल्लाह तआला के सदन में प्रिय होना स्पष्ट होता है, और दूसरे यह सामान्य मुसलमानों को चेतावनी है कि जब उनको सत्य विश्वासी अल्लाह तआला ने कह दिया है, तो अब किसी को यह अधिकार नहीं कि उनको अपमानित करे अथवा उनकी आलोचना करे।

[3]ईमानवालों को अधर्मियों एवं अवसरवादियों जैसे के विश्वास से रोका जा रहा है। क्योंकि यह विश्वास कायरता का आधार है। इसके विपरीत जब विश्वास हो कि जीवन मरण अल्लाह तआला के हाथ में है, फिर यह कि मरण का समय निर्धारित है, तो इससे मनुष्य के अन्दर संकल्प तथा साहस एवं अल्लाह के मार्ग में लड़ने की भावना पैदा होती है।

[4]उपरोक्त कुविश्वास हार्दिक पश्चाताप का ही हेतु बनता है कि यदि वह यात्रा पर अथवा रणभूमि में न जाते, और घर पर रहते तो मौत से बच जाते। जब कि मृत्यु तो सुदृढ़ दुर्गों में भी आती है।

فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۭ وَاللّٰهُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١٥٦﴾

जीवन और मौत अल्लाह ही देता है तथा अल्लाह तुम्हारे कर्मों को देख रहा है।

وَلَىِٕنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿١٥٧﴾

(१५७) यदि तुम अल्लाह के मार्ग में शहीद (बलिदान) हो जाओ अथवा मर जाओ तो अल्लाह की क्षमा उस (धन) से उत्तम है जो वे एकत्रित कर रहे हैं।[1]

وَلَىِٕنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِالَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

(१५८) तुम मरो अथवा मारे जाओतुम्हें अल्लाह के पास ही एकत्रित होना है।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۠ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ

(१५९) अल्लाह तआला की कृपा के कारण आप उनके लिये कोमल बन गये हैं और यदि आप कटु वचन तथा कठोर हृदय होते, तो यह सब आपके पास से भाग खड़े होते, इसलिए आप उन्हें क्षमा करें।[2] और उनके लिए क्षमा-याचना

﴿ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴾

"तुम जहाँ कहीं भी रहो मृत्यु तुम्हें पा लेगी, यदि तुम सुदृढ़ किलों में हो (*अल-निसा-७८*) इसलिए पश्चाताप से मुसलमान ही बच सकते हैं। जिनका विश्वास सही है।

[1]मृत्यु तो निश्चय आनी है, परन्तु यदि मृत्यु ऐसी आये जिसके बाद मनुष्य अल्लाह की क्षमा और कृपा का पात्र हो जाये, तो यह दुनिया की धन-सम्पत्ति से उत्तम है, जिसको एकत्रित करने में मनुष्य जीवन खपा देता है। इसलिए अल्लाह के मार्ग में धर्मयुद्ध करने से पीछे नहीं हटना चाहिए इससे लगाव तथा प्रेम होना चाहिए क्योंकि इससे अल्लाह की क्षमा और कृपा निश्चित हो जाती है। परन्तु इसके साथ शर्त है कि मन की स्वच्छता के साथ हो।

[2]नवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सर्वोच्च व्यवहार से युक्त थे। अल्लाह तआला अपने इस पैग़म्बर पर एक परोपकार का वर्णन कर रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अन्दर जो कोमलता है यह अल्लाह तआला की विशेष कृपा का परिणाम है। यदि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अन्दर यह न होती इसके विपरीत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुर्व्यवहारी और कठोर हृदय के होते, तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकट होने के के वजाय दूर भागते। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्षमा से ही काम लें।

فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

करें और काम का परामर्श उनसे किया करें।[1] फिर जब आप का दृढ़ निश्चय हो जाये तो अल्लाह (तआला) पर भरोसा करें।[2] और अल्लाह (तआला) भरोसा करने वालों को मित्र रखता है।

إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

(१६०) यदि अल्लाह तआला तुम्हारी सहायता करे, तो तुम पर कोई प्रभावी नहीं हो सकता, और यदि वह तुम्हें छोड़ दे, तो कौन है जो तुम्हारी सहायता करे ? और ईमान वालों को अल्लाह तआला पर ही भरोसा करना चाहिए।

---

[1]अर्थात मुसलमानों की सांत्वना के लिए परामर्श कर लिया करें। इस आयत से परामर्श का महत्व, विशेषता तथा लाभ और उसकी आवश्यकता एवं औचित्य सिद्ध होता है। परामर्श लेने का यह आदेश कुछ विद्वानों के निकट अनिवार्य है और कुछ के विचार में समुचित। (इब्ने कसीर) इमाम शौकानी लिखते हैं कि, "राज्याधिकारियों को आलिमों से ऐसी समस्याओं में परामर्श करना चाहिए, जिनका उन्हें ज्ञान नहीं है अथवा उनके विषय में उन्हें शंका है। सेना के उच्च अधिकारियों से सेना की समस्या में, समाज के प्रमुखों से जनता की समस्याओं के विषय में तथा अधिनस्थ अधिकारियों से उनके क्षेत्र की आवश्यकता तथा प्रमुखता के विषय में परामर्श करें।" इब्ने अतिया कहते हैं, "ऐसे शासकों को पद से हटाने में कोई मतभेद नही है, जो ज्ञानियों और धार्मिक व्यक्ति से परामर्श नहीं करते।" यह परामर्श केवल उन समस्या तक सीमित है, जिनके विषय में धार्मिक नियम मौन है अथवा जिनका सम्बन्ध व्यवस्था के विषय से है। (फ़तहुल क़दीर)

[2]अर्थात परामर्श के बाद जिस पर आप का विचार पक्का हो जाये, फिर अल्लाह पर भरोसा करके कर डालें। इससे तो एक बात यह ज्ञात हुई कि परामर्श के बाद अन्तिम निर्णय शासक ही का होगा, न कि परामर्शदाता अथवा उनके बहुमत का जैसाकि लोकतन्त्र में है। दूसरी यह कि सारा भरोसा अल्लाह पर ही होगा। न कि परामर्श देने वालों की बुद्धि अथवा समझ पर। अगली आयत में भी अल्लाह पर भरोसा करने पर और बल दिया जा रहा है।

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

(१६१) और यह असम्भव है कि नबी के द्वारा विश्वासघात हो जाये ।[1] प्रत्येक विश्वासघाती क़ियामत के दिन विश्वासघात को लेकर उपस्थित होगा, फिर प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा, और उन पग अत्याचार न किया जायेगा ।

أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾

(१६२) क्या वह व्यक्ति जिसने अल्लाह की प्रसन्नता का अनुसरण किया उसके समान है जो अल्लाह के क्रोध के साथ लौटा ? तथा उसका स्थान नरक है और वह बहुत बुरा स्थान है ।

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾

(१६३) अल्लाह तआला के पास उनके अलग-अलग पद हैं और उनके सभी कर्मों को अल्लाह भली-भाँति देख रहा है ।

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ

(१६४) निःसंदेह मुसलमानों पर अल्लाह का उपकार है कि उसने उन्हीं में से एक रसूल

---

[1]ओहद के युद्ध में जो लोग मोर्चा छोड़ कर परिहार एकत्र करने दौड़ पड़े थे, उनका विचार था कि यदि हम न पहुँचे, तो सारा परिहार दूसरे ले जायेंगे, इस पर चेतावनी दी जा रही है कि तुमने ऐसा क्यों सोचा कि तुम्हारा भाग तुम्हें नहीं मिलेगा ? क्या तुम्हें ओहद के सेनापति मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी पर सन्तोष नहीं ? याद रखो कि एक ईश्वदूत के द्वारा विश्वासघात नहीं किया जा सकता क्योंकि विश्वासघात नबूवत के विपरीत है यदि नबी विश्वासघाती है, तो उसकी नबूवत पर विश्वास क्यों किया जाये ? विश्वासघात महापाप है, हदीस में इसकी कटु आलोचना की गयी है ।

उनमें भेजा ।[1] जो उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाता है और उन्हें शुद्ध करता है और उन्हें किताब तथा सूझ-बूझ सिखाता है ।[2] और

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن

---

[1]नबी के मानव तथा मानव जाति में से होने का वर्णन अल्लाह एक उपकार स्वरूप कर रहा है और वास्तव में यह परोपकार है कि इस प्रकार एक तो वह अपने वर्ग की भाषा और शैली में ही अल्लाह का संदेश पहुँचायेगा । जिसे समझने में किसी व्यक्ति को कोई कठिनाई न होगी । दूसरे लोग समान जाति के होने के कारण उससे निकट होंगे । तीसरे मनुष्य के लिए मनुष्य अर्थात आदमी का अनुसरण करना तो सम्भव है, परन्तु फ़रिश्ते का अनुसरण उसके वश में नहीं है और न फ़रिश्ता मनुष्य की चेतना तथा ज्ञान की गहराईयों और सूक्ष्मता का प्रबोध कर सकता है । इसलिए यदि पैग़म्बर फ़रिश्तों में से होते तो वह इन सभी गुणों से वंचित होते जो धर्म प्रचार के लिए अति आवश्यक है । इसलिए जितने भी नबी आये हैं सभी मानव थे क़ुरआन ने उनकी मानवता को अति स्पष्ट करके वर्णन किया है । जैसे फ़रमाया :

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِم ﴾

"हमने आप से पहले जितने भी रसूल भेजें वह पुरुष थे, जिन पर हम आदेश करते थे ।" (यूसुफ़-१०९)

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِى ٱلْأَسْوَاقِ ﴾

"हमने आप से पहले जितने भी रसूल भेजे सभी भोजन करते और बाज़ारों में चलते थे ।" (सूर: *अल-फ़ुरक़ान,* २०)

और स्वयं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखार बिन्दु से कहलवाया गया ।

﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ﴾

"आप कह दीजिए कि मैं भी तुम्हारी तरह मनुष्य हूँ, परन्तु मुझ पर वह्यी उतरती है ।" (*हा॰मीम॰ अस्-सजद:*-६)

आज बहुत से मन के अंधे लोग इस बात को नहीं समझते और कुमार्ग पर हैं ।

[2]इस आयत में दूतत्व के तीन मुख्य उद्देश्य का वर्णन है ।(१) आयतों की तिलावत (२) शुद्धिकरण (३) किताब और सूझ-बूझ की शिक्षा । किताब की शिक्षा में तिलावत स्वयं आ जाती है । तिलावत के साथ ही शिक्षा सम्भव है । तिलावत के बिना शिक्षा का अस्तित्व नहीं । इसके अतिरिक्त तिलावत को एक उद्देश्य के रूप में वर्णन किया गया है । इससे

كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

अवश्य[1] यह सब उससे पूर्व स्पष्ट रूप से भटके हुए थे।

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(१६५) (क्या बात है) कि जब तुम पर एक आपत्ति आई जिसके दुगना तुमने उन्हें पहुँचाई है,[2] तो तुमने कहा कि यह कहाँ से आयी। (हे ईशदूत) आप कह दें कि यह तुमने स्वयं अपने ऊपर डाली है,[3] निश्चय प्रत्येक विषय पर अल्लाह का सामर्थ्य है।

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ

(१६६) तथा दोनों गिरोहों की मुठभेंड़ के दिन तुम्हें जो कुछ पहुँचा तो यह अल्लाह की आज्ञा से पहुंचा और ताकि अल्लाह मुसलमानों को प्रत्यक्ष रूप से जान ले।

इस बिन्दु का स्पष्टीकरण होता है कि तिलावत स्वयं भी पवित्र एवं पुण्य का कार्य है। चाहे पढ़ने वाला उसका अर्थ समझे अथवा न समझे। क़ुरआन का अर्थ तथा उद्देश्य समझने का प्रयत्न करना प्रत्येक मुसलमान के लिए आवश्यक है, परन्तु जब तक यह उद्देश्य प्राप्त न हो अथवा इतनी समझ व योग्यता न प्राप्त हो क़ुरआन की तिलावत में अलस्य अथवा रूके रहना उचित नहीं। शुद्धि का अर्थ है विश्वास कर्म और चरित्र का सुधार। जिस प्रकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मूर्तिपूजा से हटाकर एकेश्वरवाद की ओर लगाया। इसी प्रकार अति असभ्य और कुकर्मी समाज को सभ्य और चरित्र के मार्ग पर चलाया। विज्ञान (समझ-बूझ) व्याख्याकारों के निकट हदीस है।

[1]यहाँ إن का अर्थ आवश्य, नि:सन्देह तथा नि:शंका है।

[2]अर्थात ओहद में तुम्हारे सत्तर आदमी शहीद (बलिदान) हुए, तो बद्र में तुमने सत्तर आदमियों को मारा था और सत्तर बन्दी बनाये थे।

[3]अर्थात तुम्हारी उस ग़लती के कारण जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बलपूर्वक आदेश के उपरान्त तुमने जो पहाड़ी मोर्चा छोड़ कर की। जिसका विवरण पहले आ चुका है कि तुम्हारी उस ग़लती के कारण काफ़िरों को फिर से आक्रमण करने का अवसर मिल गया।

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا ۖ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾

(१६७) तथा द्वयवादियों को जान ले[1] जिनसे कहा गया कि आओ अल्लाह के मार्ग में लड़ो अथवा हमले से बचाव करो तो उन्होंने कहा कि यदि हम जानते की लड़ाई होगी तो अवश्य तुम्हारा साथ देते.[2] वह उस दिन ईमान की अपेक्षा कुफ़्र (अविश्वास) से निकटतम थे,[3] अपने मुख से वह बात कर रहे थे जो उनके दिलों में न थी[4] तथा अल्लाह उसे अवगत है जिसे वे छुपाते हैं।

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ

(१६८) जिन्होंने अपने भाईयों के लिये कहा और स्वयं भी बैठे रहे कि यदि वह हमारी बात

[1]अर्थात ओहद में जो कुछ हानि तुमको पहुँची वह अल्लाह के आदेश से पहुँची (ताकि फिर तुम रसूल के आदेशों का पालन करो) इसके अतिरिक्त उद्देश्य यह था कि ईमानवालों और मुनाफ़िक़ों को अलग कर ईमानवालों को श्रेष्ठता प्रदान करें।

[2]युद्ध जानने का अर्थ है कि यदि वास्तव में आप लोग युद्ध के लिए चल रहे होते तो हम भी साथ देते परन्तु आप लोग युद्ध के बजाय अपने आप को काल के मुख में झोंक रहे हैं, ऐसे ग़लत कार्य में हम आपका साथ क्यो दें ? यह बात अब्दुल्लाह बिन उबई और उसके साथियों ने इसलिए कही थी कि उनकी बात नहीं मानी गयी थी। और उस समय कहा जब वह शौत नामक स्थान पर पहुँचकर लौट रहे थे। अब्दुल्लाह बिन हराम अन्सारी उन्हें समझा बुझाकर युद्ध में सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे थे। (इसका कुछ वर्णन गुजर चुका है)

[3]अपने इस विभेद तथा इन बातों के कारण जो उन्होंने कीं।

[4]अर्थात मुख से वह कहा, जो वर्णन हुआ, परन्तु दिल में यह था कि हमारे अलग होने के कारण मुसलमान निर्बल हो जायेंगे। दूसरे काफ़िरों को लाभ पहुँचेगा। उद्देश्य इस्लाम, मुसलमान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हानि पहुँचाना था।

قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٦٨﴾

मानते तो हत न किये जाते। कह दो कि यदि तुम सच्चे हो तो अपनी मौत को टाल दो।[1]

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿١٦٩﴾

(१६९) और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गये उन्हें मृत न समझो बल्कि वे जीवित हैं, अपने पोषक के पास जीविका दिये जा रहे हैं।[2]

فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىھُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِھِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ھُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٧٠﴾

(१७०) अल्लाह तआला ने अपनी कृपा जो उनको दे रखी है, उससे वह अति प्रसन्न हैं और प्रसन्नता मना रहे हैं उन लोगों के विषय में जो अब तक उनसे नहीं मिले, उनके पीछे हैं।[3] इस बात पर कि उनको न कोई भय है और न कोई क्षोभ।

---

[1]यह मुनाफ़िक़ों के उस कथन का खण्डन है कि "यदि वह हमारी बात मान लेते तो मारे न जाते।" अल्लाह तआला ने फ़रमाया यदि तुम सच्चे हो तो तुम अपने ऊपर से मृत्यु को टाल दो। तात्पर्य यह है कि भाग्य से किसी को विलग नही किया गया, मृत्यु भी जहाँ और जिस प्रकार भाग्य में है। उसी स्थान पर और उसी प्रकार आकर रहेगी। इसलिए धर्मयुद्ध तथा अल्लाह के मार्ग में लड़ने से रुकने अथवा भागने से, कोई मृत्यु के पंजे से नहीं बच सकता।

[2]शहीदों का यह जीवन वास्तविक है अथवा काल्पनिक ? निःसन्देह वास्तविक है, परन्तु इसका ज्ञान दुनिया वालों को नहीं है। जैसाकि क़ुरआन ने स्पष्ट कर दिया है। कृपया देखें *सूरः अल-बक़रः-१५४*। फिर इस जीवन का अर्थ क्या है ? कुछ कहते हैं कि क़ब्रों में उनकी आत्मायें लौटा दी जाती हैं और वह अल्लाह की प्रदान की गयी सामग्रियों को प्रयोग करके आनन्दित होते हैं। कुछ कहते हैं कि स्वर्ग के फलों की सुगन्ध उन्हें आती रहती है, जिससे उनकी पवित्र आत्मा प्रफुल्लित रहती है। परन्तु हदीस से एक तीसरी परिस्थिति सामने आती है, इसलिए वही सही है वह यह कि उनकी आत्मायें हरे पंक्षियों के शरीर में अथवा सीने में प्रवेश कर दी जाती हैं और वह स्वर्ग में खाती पीती फिरती हैं और अपना प्रदत्त सामग्रियों से लाभान्वित होती रहती हैं। (फ़तहुल क़दीर निर्देशित सहीह मुस्लिम किताबुल ईमारः)

[3]अर्थात वह मुसलमान जो उनके पीछे दुनिया में जीवित हैं अथवा धर्मयुद्ध में व्यस्त हैं, इनके लिए यह कामना करते हैं कि काश उन्हें भी शहादत मिलती और उन्हें हमारी तरह यहाँ

(१७१) वह अल्लाह की कृपा और दया से प्रसन्न होते हैं और उससे भी कि अल्लाह तआला ईमानवालों के प्रतिफल को नष्ट नहीं करता ।[1]

يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٧١﴾

आनन्दित जीवन प्राप्त होता। ओहद के शहीदों ने अल्लाह के दरबार में प्रार्थना की कि क्या हमारे वह मुसलमान भाई जो हमारे पीछे दुनिया में जीवित हैं उन्हें हमारे हालात और आनन्दपूर्ण जीवन की सूचना देने वाला कोई है ? ताकि वह युद्ध और धर्मयुद्ध से पीछे न हटें । अल्लाह ने यह आयत फ़रमाया, "मैं तुम्हारी बात उन तक पहुँचा देता हूँ ।" इस कारण अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी। (मुसनद अहमद ३६५-३६६, सुनन अबू दाऊद किताबुल जिहाद) इसके अतिरिक्त कई हदीसों से शहादत की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। जैसाकि एक हदीस में है।

«مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ، لَهَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ، يَسُرُّهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا إِلَّا الشَّهِيْدُ، فَإِنَّه يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَىٰ لِمَا يَرَىٰ مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ».

"कोई मरने वाली आत्मा जिसे अल्लाह के यहाँ उच्च स्थान प्राप्त है, दुनिया में लौटने की चेष्टा नहीं करती परन्तु शहीद दुनिया में पुन: आने की चेष्टा करता है, ताकि वह पुन: अल्लाह के मार्ग में शहीद हो, यह कामना वह इसलिए करता है कि शहादत की श्रेष्ठता को वह देख लेता है।" (मुसनद अहमद ३/१२६, सहीह मुस्लिम किताबुल इमार :, बाँब फ़जलुशशहाद:)

आदरणीय जाबिर (रज़ी अल्लाह अन्हु) कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु असैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि तुझे ज्ञात है कि अल्लाह तआला ने तेरे पिता को जीवित किया और कहा कि मुझसे अपनी किसी कामना का प्रदर्शन कर (ताकि मैं उसे पूरा करूँ) तेरे पिता ने उत्तर दिया कि मेरी तो यह कामना है कि मुझे पुन: दुनिया में भेज दिया जाये ताकि पुन: तेरी राह में मारा जाऊँ, अल्लाह तआला ने फ़रमाया यह तो असम्भव है क्योंकि मेरा निर्णय है कि मेरे पास आने के बाद कोई दुनिया में वापस नहीं जा सकता। (मुसनद अहमद ३/३६१)

[1]यह आनन्दमयी बात पहली आनन्दायक बात की पुनरावृत्ति है और इस बात का वर्णन है कि उनकी प्रसन्नता केवल भय और दुख से वंचित होने के कारण नहीं है। बल्कि अल्लाह की कृपा और उसकी अनमोल दया तथा कृपा के कारण है। और कुछ व्याख्याकारों के अनुसार पहली प्रसन्नता का सम्बन्ध संसार में रह जाने वाले भाईयों के कारण है, और यह दूसरी प्रसन्नता उस उपहार व कृपा की है, जो अल्लाह तआला की ओर से स्वयं उन पर हुई। (फ़तहुल क़दीर)

(१७२) जिन लोगों ने घायल होने के बाद (भी) अल्लाह एवं रसूल का आदेश मान लिया उनमें से जो सत्कार किये तथा परहेजगार रहे उनके लिए बड़ा प्रतिफल है ।[1]

ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا۟ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾

(१७३) जिनसे लोगों ने कहा कि लोग तुम्हारे लिये एकत्रित हो चुके हैं, अतः उनसे डरो, तो उनका ईमान बढ़ गया और कहा कि अल्लाह हमारे लिये बस है तथा वह उत्तम संरक्षक है ।[2]

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

---

[1]जब मूर्तिपूजक ओहद के युद्ध से लौटे तो उन्हें मार्ग में याद आया कि उन्होंने एक अच्छा अवसर खो दिया। मुसलमान पराजय के कारण साहस खो बैठे थे और भयभीत थे। हमें इससे लाभ उठाकर मदीना पर भरपूर हमला कर देना चाहिए था, ताकि इस्लाम का यह पौधा अपनी धरती (मदीना) से ही नष्ट हो जाता । इधर मदीना पहुँच कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विचार आया कि कहीं मूर्तिपूजक फिर पलट कर न आयें । इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को लड़ने के लिए तैयार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर सहाबा दुखी होने के पश्चात भी तैयार हो गये। मुसलमानों का यह क़ाफ़िला जब मदीने से ८ मील दूर स्थित "हमरॉउल असद" नामक स्थान पर पहुँचा तो मूर्तिपूजकों को भय प्रतीत हुआ, अतएव उन्होने अपना विचार बदल दिया । और वह मदीना पर आक्रमण करने के बजाय मक्का वापस चले गये । उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप के साथी मदीना वापस आ गये । इस आयत में मुसलमानों के इसी अल्लाह और रसूल की आज्ञापालन की भावना की प्रशंसा की गयी है। कुछ ने इस आयत के उतरने का कारण अबू सुफ़ियान (जो अभी ईमान नही लाये थे) की उस धमकी को बतलाया है, "कि अगले वर्ष छूटे बद्र में हमारा तुम्हारा मुक़ाबिला होगा ।" इस पर मुसलमानों ने भी अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञापालन करते हुए इस साहस का प्रदर्शन किया था कि धर्मयुद्ध में भरपूर भाग लेने का दृढ़ विचार कर लिया है। (उदघृत फ़तहुल क़दीर व इब्ने कसीर) परन्तु यह अन्तिम कथन पूर्व के विषय से मेल नही खाता।

[2]"हमराउल असद" और कहा जाता है कि छोटे बद्र के स्थान पर अबू सुफ़ियान ने कुछ लोगों की सेवा धन देकर प्राप्त की और उनके द्वारा मुसलमानों में यह अफ़वाह फैला दी कि मक्का के मूर्तिपूजक युद्ध के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। ताकि यह सुनकर मुसलमानों की हिम्मत टूट जाये । कुछ कथनों में यह है कि यह काम शैतान ने अपने शिष्यों से लिया । परन्तु मुसलमान यह अफ़वाह सुनकर और भी सुदृढ़ इरादे और साहस से तैयार

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ﴿١٧٤﴾

(१७४) (प्रणाम यह हुआ कि) वह अल्लाह की कृपा के साथ वापस हुए [1] उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचा | उन्होंने अल्लाह की अनुग्रह का मार्ग अपनाया | तथा अल्लाह विशाल अनुकम्पा वाला है |

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۖ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٥﴾

(१७५) यह शैतान (राक्षस) ही है जो अपने मित्रों से डराता है[2] अत:उनसे न डरो मुझसे ही डरो यदि तुम ईमान वाले हो |[3]

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا

(१७६) जो शीघ्रता से कुफ्र में जा रहे हैं, उनसे आप उदासीन न हों वह अल्लाह तआला का

हो गये | जिसको यहाँ ईमान की अधिकता से तुलना की गयी है क्योंकि ईमान जितना दृढ़ होगा धर्मयुद्ध का साहस तथा संकल्प भी उतना ही अधिक होगा | यह आयत इस बात की साक्षी है कि ईमान कोई अटल विषय नहीं है | बल्कि इसमें कमी और अधिकता होती रहती है जैसाकि मोहद्दिसीन का विचार है | यह भी ज्ञात हुआ कि दुख में ईमान वाले अल्लाह पर विश्वास और भरोसा करते हैं इसीलिए हदीस में ﴿حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ﴾ पढ़ने पर बल दिया गया है | इसी प्रकार सहीह बुख़ारी आदि में है आदरणीय इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो आपकी ज़बान पर यही शब्द थे | (फ़तहुल क़दीर)

[1]कृपा से तात्पर्य सुरक्षा है और दया से तात्पर्य लाभ है | जो छोटे बद्र में व्यापार द्वारा प्राप्त हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे बद्र में एक गुजरने वाले क़ाफ़िले से व्यापार की सामग्री क्रय करके बेच दी, जिससे लाभ प्राप्त हुआ और लाभ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में विभाजित कर दिया | (इब्ने कसीर)

[2]अर्थात वह तुम्हें शंका तथा भ्रम में डालता है कि वह बहुत वीर और बलवान हैं |

[3]अर्थात यदि वह तुम्हें इस प्रकार के भ्रम में डाले तो तुम केवल मुझ पर ही भरोसा करो और मेरी ओर ही पलटो ! मै तुम्हारे लिए काफी हो जाऊँगा और तुम्हारा रक्षक रहूँगा | जैसाकि दूसरे स्थान पर बताया गया है |

﴿اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ﴾

"क्या अल्लाह तआला अपने भक्तों के लिए काफी नहीं ?"(*अल-ज़ुमर*-३६)

थोड़ा और देखिए | ﴿كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ﴾ आदि आयत हैं |

اللّٰهَ شَيْـًٔا ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٦﴾

कुछ न बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह परलोक में उन्हें कोई भाग नहीं देना चाहता।[1] और उनके लिए घोर यातना है।

اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٧﴾

(१७७) कुफ़्र को ईमान के बदले क्रय करने वाले लोग कदापि-कदापि अल्लाह (तआला) को कोई हानि नहीं पहुँचा सकते और उन्हीं के लिए दु:खदायी यातना है।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ۗ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٧٨﴾

(१७८) काफ़िर लोग यह न सोचें कि हमारा उन्हें अवसर देना उनके लिये अच्छा है। हम यह अवसर इसलिये दे रहे है कि वह और अधिक पाप कर लें, तथा उन्हीं के लिये अपमानित यातना है।[2]

---

[1]नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन्तरिक इच्छा थी कि सभी लोग मुसलमान हो जायें, इसी कारण उनके इंकार और झुठलाने से आपको दुख होता था। अल्लाह तआला ने इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सांत्वना दी है कि आप दुखी न हों यह अल्लाह का कुछ न बिगाड़ सकेंगे, अपनी ही आख़िरत नाश कर रहे हैं।

[2]इस आयत में अल्लाह तआला के समय देने के नियम का वर्णन है। अर्थात अल्लाह तआला अपनी नियम तथा इच्छा से काफ़िरों को समय प्रदान करता है। सामायिक रूप से उन्हें सांसारिक ऐश्वर्य, सुख-समृद्धि, विजय तथा धन और सन्तान प्रदान करता है। लोग समझते हैं कि उन पर अल्लाह की कृपा हो रही है। परन्तु यदि अल्लाह की प्रदान की हुई सुख-समृद्धि से लाभान्वित होने वाले पुण्य और अल्लाह के आदेशों का पालन करने का मार्ग नहीं अपनाते तो यह सांसारिक सुख अल्लाह तआला की कृपा नहीं, अल्लाह कि ओर से समय प्रदान करना है। जिससे उनके अधर्म और अवज्ञा में बढ़ोत्तरी ही होती है। अन्तत: वह नरक की स्थाई यातना के अधिकारी हो जाते हैं। इस विषय में अल्लाह तआला ने कई स्थान पर वर्णन किया है। जैसे-

﴿ اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ۞ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرٰتِ ۚ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴾

(१७९) जिस हाल पर तुम हो उसी पर अल्लाह ईमानवालों को छोड़ नहीं देगा जब तक कि पवित्र और अपवित्र को अलग-अलग न कर दे।[1] और न अल्लाह ऐसा है कि तुम्हें परोक्ष से सूचित कर दे,[2] परन्तु अल्लाह अपने रसूलों में से जिसको चाहे चुन लेता है।[3] इसलिए तुम

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ص

"क्या वह यह समझते हैं कि हम जो उनके धन और सन्तान में वृद्धि करते हैं, यह हम उनके लिए भलाईयों में शीघ्रता कर रहे हैं नहीं, बल्कि यह वह समझते ही नहीं।" *(अल- मोमिनून- ५५-५६)*

[1]इसलिए अल्लाह तआला परीक्षा कुंड से गुजारता है, ताकि उसके मित्र स्पष्ट हो जायें और शत्रु अपमानित हो जायें। ईमानवाला, धैर्यवान, मुनाफ़िक़ से पृथक हो जाये, जिस प्रकार ओहद में अल्लाह तआला ने ईमानवालों की परीक्षा ली जिससे उनके ईमान धैर्य तथा दृढ़ता और आज्ञापालन करने के साहस का प्रदर्शन हुआ और मुनाफ़िक़ों के चेहरे पर जो निफ़ाक़ (फूट) का पर्दा था वह गिर गया।

[2]अर्थात यदि अल्लाह तआला इस प्रकार के दुखों से परीक्षा लेकर लोगों के हालात और उनके बाहरी और भीतरी विचार को स्पष्ट नहीं करे तो तुम्हारे पास कोई अन्तर्यामी तो है नहीं, जिससे तुमको यह चीजे स्पष्ट हो सके और तुम जान सको कि कौन मुनाफ़िक़ है और कौन शुद्ध ईमानवाला।

[3]परन्तु कुछ परिस्थितियों में अल्लाह तआला अपने रसूलों में से जिसे चाहता परोक्ष का ज्ञान दे देता है। जिससे कई बार उन पर अवसरवादियों और उनकी दशा तथा उनकी चालों का भेद खुल जाता है। परन्तु सामान्य रूप से नबी भी (यदि अल्लाह तआला न चाहे) मुनाफ़िक़ों के आन्तरिक निफ़ाक़ (द्वयवाद) और उनकी धोखेबाजी से अनजान ही रहता है (जिस प्रकार सूरः तौबः की आयत संख्या १०१ में अल्लाह तआला ने फ़रमाया है कि गँवारों और मदीने वालों में जो द्वयवादी हैं हे पैग़म्बर ! आप उनको नहीं जानते, हम उन्हें जानते हैं।) इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि परोक्ष का ज्ञान हम केवल अपने रसूलों को ही प्रदान करते हैं क्योंकि यह उनके पद की आवश्यकता है। इसी अल्लाह की प्रकाशना तथा परोक्ष के द्वारा ही वह लोगों को अल्लाह ताअला की ओर बुलाते हैं और अपने को अल्लाह का रसूल सिद्ध करते हैं। इस विषय को दूसरे स्थान पर इस प्रकार वर्णित किया गया है

﴿ عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۝ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ ﴾

فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾

अल्लाह (तआला) पर और उसके रसूलों पर ईमान रखो, यदि तुम ईमान लाओ और अल्लाह से परहेज़गारी करो, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बदला है।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

(१८०) तथा जिनको अल्लाह ने अपनी कृपा से (धन) दिया है और वह उसमें कंजूसी (कृपण) करते हैं तो इसे अच्छा न समझें बल्कि वह उनके लिए अति बुरा है। उन्होंने जिस (धन) में कंजूसी की है प्रलय के दिन उनका (गले का) तौक़ होगी,[1] तथा आसमानों एवं धरती का उत्तराधिकार मात्र अल्लाह के लिये है, तथा वह तुम्हारी कृतियों से सूचित है।

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّٰهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۘ

(१८१) अवश्य अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन ली है जिन्होंने कहा कि अल्लाह निर्धन

"परोक्ष का ज्ञान (अल्लाह तआला को है) और अपने परोक्ष से प्रिय रसूलों को ही अवगत कराता है।" (*सूर: अल-जिन्न-२६-२७*)

स्पष्ट बात है यह परोक्ष की बातें वही हैं, जिनका सम्बन्ध दूतत्व के पद तथा कर्तव्य को पूरा करने से होता है। न कि ما كان وما يكون (जो कुछ हो चुका और आगे क़ियामत तक जो होने वाला है) का ज्ञान। जैसाकि कुछ ग़लत लोग इस प्रकार के परोक्ष का ज्ञान नबियों के लिए और कुछ लोग अपने "पुण्यात्मा इमामों" के लिए कहते हैं।

[1]इसमें उस कंजूस का वर्णन किया गया है, जो अल्लाह के प्रदान किये हुए धन को अल्लाह के मार्ग में व्यय नहीं करता यहाँ तक कि उनमें से अनिवार्य ज़कात भी नहीं निकालता। सहीह बुख़ारी की हदीस में आता है कि क़ियामत के दिन उसके धन को एक विषाक्त सर्प बनाकर जंजीर की तरह गले में डाल दिया जायेगा, वह सर्प उसकी बाँछें पकड़ेगा और कहेगा कि मैं तेरा धन हूँ। तेरा कोष हूँ।

«مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
(सहीह बुख़ारी किताब अल तफ़सीर)

سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿١٨١﴾

है तथा हम धनी हैं ।[1] हम उनकी यह बात लिख लेंगे तथा इनके द्वारा ईशदूतों की अवैध हत्या को भी,[2] तथा हम कहेंगे कि जलने की यातना चखो ।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿١٨٢﴾ۚ

(१८२) यह तुम्हारे करतूत हैं तथा निश्चय अल्लाह अपने भक्तों पर तनिक अत्याचार नहीं करता ।

اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٨٣﴾

(१८३) इन्होंने कहा कि हम से अल्लाह ने वचन लिया है कि हम किसी ईशदूत को न मानें जब तक कि वह हमारे समक्ष ऐसी बलि न लाये जिसे आग खा जाये, आप कहिये कि तुम्हारे पास मुझसे पूर्व ईशदूत तर्कें एवं उसके सहित वह भी लाये जो तुमने कहा तो तुमने उन्हें क्यों हत किया[3] यदि तुम सत्यवादी हो ।

---

[1]जब अल्लाह तआला ने ईमानवालों को अल्लाह तआला के मार्ग में व्यय करने का प्रलोभन दिया और फ़रमाया :

﴿ مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾

"कौन है जो अल्लाह को अच्छा ऋण दे ।" (*अल-बक़र:-२४५*)

तो यहूदियों ने कहा ऐ ! मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम !) तेरा प्रभु निर्धन हो गया है कि अपने भक्तों से ऋण माँग रहा है । जिस पर अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी । (इब्ने कसीर)

[2]अर्थात वर्णित कथन जिसमें अल्लाह तआला को अपमान जनक शब्द कहे गये हैं । और इसी प्रकार उनके (पूर्वजों का) नबियों की अकारण हत्या करना, उनके ये सभी अपराध अल्लाह के सदन में लिखे हुए हैं । जिनके कारण वह नरक की अग्नि में डाले जायेंगे ।

[3]इसमें भी यहूदियों की एक और बात को भुठलाया जा रहा है । वह कहते थे कि अल्लाह तआला ने हमसे वचन लिया है कि तुम केवल उस रसूल पर विश्वास करना जिसकी प्रार्थना से आकाश से आग उतरे और बलि तथा दान को जला डाले । उनका तात्पर्य यह

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُو بِالْبَيِّنَٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَٰبِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾

(१८४) फिर भी यदि यह लोग आप को झुठलायें, तो आप से पूर्व बहुत से रसूल झुठलाये गये, जो अपने साथ स्पष्ट प्रमाण, पत्रक तथा प्रकाशमान पुस्तकें लेकर आये ।[1]

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

(१८५) प्रत्येक जीव को मृत्यु का स्वाद चखना ही है और क़ियामत के दिन तुम अपने प्रतिकार पूरे-पूरे दिये जाओगे, परन्तु जो व्यक्ति आग से हटा दिया जाये और स्वर्ग में प्रवेश करा दिया जाये, निःसन्देह वह सफल हो गया । और दुनिया का जीवन केवल धोखे का सामान है ।[2]

था कि ऐ मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आप के द्वारा इस प्रकार का चमत्कार प्रकट नहीं हुआ है । इसलिए अल्लाह के आदेशानुसार आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की रिसालत पर हमें ईमानलाना आवश्यक नहीं है यद्यपि पूर्व के नबियों में से कुछ नबियों की प्रार्थना पर आकाश से आग आती और ईमानवालों के दान और बलि को खा जाती जो एक ओर इस बात का प्रमाण होता कि अल्लाह के मार्ग में प्रस्तुत किया हुआ दान अथवा वलि अल्लाह तआला के दरबार में स्वीकार हो गयी । दूसरी ओर यह सिद्ध करती कि यह नबी सत्य हैं । परन्तु इन यहूदियों ने उन नबियों और रसूलों को भी झुठलाया इसलिए अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि यदि तुम अपने दावे में सच्चे हो, तो फिर तुमने ऐसे पैग़म्बर को क्यों झुठलाया और उनकी हत्या की, जो तुम्हारे द्वारा माँगी गयी निशानियाँ लेकर आये थे ।

[1]नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सांत्वना दी जा रही है कि आप यहूदियों के तर्क-वितर्क से उदास न हों । इस प्रकार का व्यवहार केवल अपके साथ नहीं किया जा रहा है, बल्कि आप से पूर्व आने वाले पैग़म्बरों के साथ भी यही किया जा चुका है ।

[2]इस आयत में एक अटल तथ्य का वर्णन है कि मौत से कोई भाग नहीं सकता । दूसरा यह कि दुनिया में जिसने भी अच्छा या बुरा जो कुछ किया है, उसको उसका पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा । तीसरा, सफलता की सीमा बतायी गयी है, कि सफल वास्तव में वह है जिसने दुनिया में रहकर अपने प्रभु को प्रसन्न कर लिया जिसके परिणामस्वरूप वह नरक से मुक्त कर दिया गया और स्वर्ग में प्रवेशित कर दिया गया । चौथा यह कि दुनिया का जीवन धोखे की सामग्री है, जो उससे अपना दामन बचाकर निकल गया, वह सौभाग्यशाली है और जो उसमें फंस गया, असफल और हतभागा है ।

لَتُبۡلَوُنَّ فِيٓ أَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ وَلَتَسۡمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُوٓاْ أَذٗى كَثِيرٗاۚ وَإِن تَصۡبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ١٨٦

(१८६) अवश्य तुम्हारे धन और आत्माओं में तुम्हारी परीक्षा ली जायेगी।[1] और अवश्य तुम्हें उन लोगों की जो तुम से पूर्व किताब दिये गये और मूर्तिपूजकों की बहुत सी दुख देने वाली बातें सुननी पड़ेगीं और यदि तुम धैर्य रखो और आज्ञा का पालन करो, तोअवश्य यह बहुत बड़े साहस का कार्य है।[2]

---

[1]ईमानवालों के ईमान अनुसार परीक्षा लेने का वर्णन है। जैसाकि *सूर: अल-बक़र:* की आयत संख्या १५५ में गुज़र चुका है। इस आयत की व्याख्या में एक घटना का वर्णन आता है कि मुनाफ़िक़ों के मुखिया अब्दुल्लाह बिन उबैय्य ने अभी इस्लाम स्वीकार करने की घोषणा नहीं की थी और बद्र का युद्ध भी नहीं हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदरणीय साद बिन उबाद: की बीमारी के समय मिलने के लिए बनी हारिस बिन ख़ज़रज में पधारे। मार्ग में एक स्थान पर यहूदी, मूर्तिपूजक और अब्दुल्लाह बिन उबैय्य आदि बैठे हुए थे। आपकी सवारी से जो धूल उड़ी थी, उसने उससे भी अप्रसन्नता का प्रदर्शन किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठहर कर उनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने का आमन्त्रण भी दिया। जिस पर अब्दुल्लाह बिन उबैय्य ने अपशब्द भी कहे। वहाँ कुछ मुसलमान भी थे। उन्होंने इसके विपरीत आपकी प्रशंसा की, निकट था कि उनके मध्य झगड़ा हो जाये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको शान्त कराया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदरणीय साद के पास पहुँचे तो यह घटना सुनायी, जिस पर उन्होंने यह कहा कि अब्दुल्लाह बिन उबैय्य यह बातें इसलिए करता है कि आपके मदीना आने के पूर्व, यहाँ के निवासियों को उसका राजतिलक करना था, आप के आने के कारण उसकी सरदारी का यह सुन्दर स्वप्न अधूरा रह गया, जिसका उसे अति दुख है और उसकी यह बातें उसकी इसी कटुता तथा शत्रुता का प्रदर्शन हैं इसलिए उसे क्षमा करने से ही काम लें। (सहीह बुख़ारी किताबुल तफ़सीर संक्षिप्त)

[2]अहले किताब से तात्पर्य यहूदी तथा ईसाई हैं। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम और मुसलमानों के विरुद्ध अपशब्द तथा दुष्प्रचार करते थे। यही दशा अरब के मूर्तिपूजकों की थी। इनके अतिरिक्त मदीने में आने के पश्चात मुनाफ़िक़ विशेषरूप से उनका मुखिया अब्दुल्लाह बिन उबैय्य भी आप की मान-मर्यादा पर प्रहार करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पूर्व मदीनावासी उसे अपना सरदार बनाने वाले थे, और उसके राजतिलक की तैयारी पूर्ण हो चुकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से उसका यह स्वप्न टूट गया, जिसका उसे अत्यधिक दुख था अतएव प्रतिशोध की भावना के कारण वह आप के विरुद्ध अपमान और निन्दा करने का कोई अवसर हाथ से

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾

(१८७) और जब अल्लाह (तआला) ने अहले किताब से वचन लिया कि तुम उसे सभी लोगों से अवश्य वर्णन करोगे और उसे छिपाओगे नहीं, तो फिर भी उन लोगों ने उस वचन को पीठ पीछे डाल दिया और उसे बहुत कम मूल्य पर बेच डाला। उनका यह व्यापार बहुत बुरा है।[1]

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾

(१८८) वह लोग जो अपने करतूतों पर प्रसन्न हैं और चाहते हैं कि जो उन्होंने नहीं किया उस पर भी उनकी प्रशंसा की जाये। आप उन्हें यातना से मुक्त न समझिये। उनके लिए तो कष्टदायी यातनायें हैं।[2]

नहीं जाने देता था (जैसाकि बुख़ारी के संदर्भ से इसकी आवश्यक विवरण पिछले स्तम्भ में गुजर चुका है)। इस स्थिति में मुसलमानों को क्षमा करने तथा धैर्य रखने की शिक्षा दी जा रही है। जिससे ज्ञात हुआ कि इस्लाम का आमन्त्रण देने वालों को दुखों और कठिनाई का होना इस सत्यमार्ग के अटल परिस्थिति में से है और इसका इलाज धैर्य अल्लाह के लिए, दृढ़ता के लिए अल्लाह की सहायता की कामना और अल्लाह की ओर सम्बोधित होने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। (इब्ने कसीर)

[1]इसमें अहले किताब को रोका तथा निन्दा की जा रही है कि उनसे अल्लाह तआला ने जो वचन लिया था कि अल्लाह की किताब (तौरात और इंजील) में जो बातें लिखी हैं और अन्तिम नबी के जिन गुणों का वर्णन है, उन्हें लोगों के समक्ष वर्णन करें और छिपायेंगे नहीं परन्तु उन्होंने थोड़े से सांसारिक लाभ के लिये अल्लाह तआला को दिये गये वचन भंग कर दिया अर्थात यह ज्ञानियों को चेतावनी दी जा रही है कि उनके पास जो लाभदायक ज्ञान हैं, जिससे लोगों के विश्वास तथा कर्मों का सुधार हो सकता है, वह लोगों तक अवश्य पहुँचाना चाहिए। सांसारिक लोभ और लाभ के लिये उनको छिपाना बहुत बड़ा अपराध है। प्रलय के दिन ऐसे लोगों को आग की लगाम पहनायी जायेगी। (जैसाकि हदीस में है)

[2]इसमें ऐसे लोगों को कठोर चेतावनी दी जा रही है जो अपने सामायिक पराक्रमों पर ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि यह भी चाहते हैं कि उनके खाते में वह कारनामे भी लिखे अथवा प्रकाशित किये जायें जो उन्होंने नहीं किये हैं। यह रोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के युग के कुछ लोगों में था जिसके कारण यह आयत उतरी। उसी जैसा रोग वर्तमान

(१८९) और आकाशों और धरती का मालिक अल्लाह (तआला) ही है और अल्लाह (तआला) हर चीज़ पर प्रभुत्व रखता है।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٨٩﴾

(१९०) नि:संदेह आकाशों और धरती के बनाने में और रात-दिन के हेर-फेर में अवश्य बुद्धिमानों के लिए निशानियाँ हैं।[1]

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

(१९१) जो अल्लाह (तआला) की याद खड़े और बैठे तथा अपनी करवटों पर लेटे हुए करते हैं और आकाशों तथा धरती की सृष्टि पर विचार करते हैं (और कहते हैं) कि हे हमारे प्रभु ! तूने यह सब बिना लाभ के नहीं बनाया।

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

युग के खुशामद पसन्द लोगों तथा प्रचार एवं हथकंडों द्वारा बने नेताओं में भी सामान्य है। ब्यान के आगामी क्रम से यह भी विदित होता है कि यहूदी अल्लाह की किताब के बदलने तथा घटाने-बढ़ाने के अपराधी थे। परन्तु वह अपने इन करतूतों से प्रसन्न होते थे। यही दशा आजकल के झूठे गिरोहों का भी है। वह भी लोगों को कुपथ करके तथा भटका कर अल्लाह की आयतों के अर्थ में परिवर्तन करके एवं धोखा देकर प्रसन्न होते हैं और दावा यह करते हैं कि वही सत्य पर हैं और यह कि उनकी धूर्तता एवं छलावे पर उनकी वाह वाह की जाये।

[1]अर्थात जो लोग धरती और आकाश की रचना, विश्व के अन्य भेदों एवं रहस्य पर विचार करते हैं उन्हें जगत के रचयिता एवं वास्तविक शासक का ज्ञान हो जाता है। और वह समझ जाते है कि इतने विशाल जगत की व्यवस्था में तनिक भी बाधा उत्पन्न नहीं होती, निश्चय उसके पीछे कोई एक चालक तथा व्यवस्थापक है और वह अल्लाह है। आगे इन्हीं बुद्धिमानों का वर्णन है कि वे उठते-बैठते और करवट लेटे अल्लाह को याद करते हैं। हदीस में आता है कि ﴿اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ﴾ से लेकर सूरह के अन्त तक यह आयतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब तहज्जुद की नमाज के लिए उठते, तो पढ़ते और उसके बाद वज़ू करते। (सहीह बुख़ारी, किताबुत तफ़सीर सहीह मुस्लिम किताबुस्सलात ३/१८२)

तू पवित्र है, बस तू हमें आग की यातना से बचा ले ।[1]

رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿١٩٢﴾

(१९२) ऐ हमारे पालनहार ! तू जिसे नरक में डाले निःसन्देह तूने उसे अपमानित किया और अत्याचारियों का सहायक कोई नहीं है ।

رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

(१९३) हे हमारे प्रभु ! हमने सुना कि उद्घोषक ईमान की ओर पुकार रहा है कि लोगो ! अपने प्रभु पर ईमान लाओ, और हम ईमान लाये । हे हमारे प्रभु ! अब तो हमारे पाप क्षमा कर दे और हमारी बुराईयाँ हम से दूर कर दे और हमारी मृत्यु सदाचारियों के साथ कर ।

---

[1]इन दस आतयों में से पहली आयत में अल्लाह तआला ने अपने बल एवं सामर्थ्य के कुछ लक्षणों की चर्चा की है और फ़रमाया कि यह निशानियाँ अवश्य हैं, परन्तु किनके लिए ? बुद्धिमान और ज्ञानियों के लिए अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कि रचना के चमत्कार तथा उसके सामर्थ्य को देखकर भी जिसे ईश्वर (अल्लाह) का ज्ञान न हो वह ज्ञानहीन है परन्तु यह खेद का विषय है कि इस्लामी दुनिया में उसी को ज्ञानी माना जाता है, जो अल्लाह तआला के विषय में शंका का शिकार हो فإنا لله و إنا إليه راجعون दूसरी आयत में ज्ञानियों को अल्लाह की याद से अभिरूचि तथा आकाश एवं पृथ्वी क़ी रचना में सोच-विचार का वर्णन है, जैसाकि हदीस में भी आया है । नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया खड़े होकर नमाज़ पढ़ो यदि खड़े नही हो सकते, तो बैठकर पढ़ो, यदि बैठकर नहीं पढ़ सकते, तो लेट कर नमाज़ पढ़ो। (सहीह बुख़ारी किताबुस्सलात) ऐसे लोग जो अल्लाह की हर समय याद करते और रखते हैं और आकाश और धरती की रचना पर ध्यान-विचार करते हैं, जिनसे रचयिता की महिमा, शक्ति, उसका ज्ञान तथा उसकी कृपा एवं प्रभुत्व की सही दिशा उन्हें प्राप्त होती है । तो वह पुकार उठते हैं कि सृष्टि के प्रभु ने यह सृष्टि यूँ ही अकारण नहीं बनायी है, बल्कि इसका उद्देश्य भक्तों की परीक्षा लेना है । जो सफल हो गया उसके लिए अनन्तकाल तक के लिए स्वर्ग की सुख-सुविधा है और जो असफल हो गया उसे अग्नि की यातना है । इसलिए वह आग की यातना से बचने की प्रार्थना भी करते हैं । इसके बाद वाली तीन आयतों में भी क्षमा-याचना तथा प्रलय के दिन के अपमान से बचने की प्रार्थनायें हैं ।

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿١٩٤﴾

(१९४) हे हमारे प्रभु ! हमें वह प्रदान कर जिसका वायदा तूने हमसे अपने रसूलों के मुख से किया है और हमें क़ियामत के दिन अपमानित न कर, नि:सन्देह तू वायदा के विपरीत नहीं करता।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

(१९५) अत:उनके पालनहार ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की।[1] कि तुममें से किसी कार्यकर्त्ता के कर्मों को चाहे वह पुरुष हो अथवा स्त्री में कदापि विफल नहीं करता।[2] तुम आपस में एक-दूसरे से हो।[3] इसलिए वह लोग जिन्होंने हिजरत (धर्म के कारण स्थानान्तरण) किया और अपने घरों से निकाल दिये गये और जिन्हे मेरे मार्ग में कष्ट दिया गया और जिन्होंने धर्मयुद्ध किया और शहीद किये गये अवश्य मैं उनकी बुराईयाँ उनसे दूर कर दूँगा और अवश्य उनको उस स्वर्ग में ले जाऊँगा, जिनके नीचे

---

[1] فاستجاب यहाँ أجاب अर्थात स्वीकार किया के अर्थ में प्रयोग हुआ है।

[2]पुरुष हो अथवा स्त्री का वर्णन इसलिये कर दिया गया है कि इस्लाम ने कुछ कर्मों में पुरुष-स्त्री के मध्य उनके एक-दूसरे से प्राकृतिक भिन्नता और गुणों के आधार पर जो अन्तर किया है। जैसे संरक्षण तथा अधिपत्य में, जीविका उपार्जन में धर्मयुद्ध में भाग लेने में और उत्तराधिकार में आधा भाग मिलने में। इससे यह अर्थ न निकाल लिया जाये कि पुण्य कर्मों के प्रत्युपकार में भी शायद पुरुष स्त्री में कुछ अन्तर किया जायेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक का समान बदला मिलेगा, वही पुण्य यदि एक स्त्री करेगी तो उसको भी वही बदला मिलेगा।

[3]यह वाक्य अलग है और इसका अभिप्राय उपरोक्त बिन्दु का वर्णन है अर्थात बदला एवं आज्ञापालन में तुम नर-नारी एक ही हो अर्थात एक समान हो, कुछ हदीसो में है कि आदरणीया उम्मे सलमा ने एक बार कहा कि हे अल्लाह के रसूल अल्लाह ने हिजरत (धर्म के लिये प्रवास) के विषय में नारियों का नाम नहीं लिया, उस पर यह आयत उतरी (तफ़सीर तबरी, इब्ने कसीर, तथा फ़तहुल क़दीर)

नहरें बह रही हैं, यह है पुण्य अल्लाह (तआला) की ओर से और अल्लाह (तआला) ही के पास श्रेष्ठ प्रत्युपकार है।

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾

(१९६) नगरों में काफ़िरों की यातायात तुझे धोखे में न डाल दे।[1]

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾

(१९७) यह तो बहुत ही थोड़ा लाभ है।[2] उसके पश्चात उनका ठिकाना तो नरक है और वह बुरा स्थान है।

---

[1]यद्यपि सम्बोधित नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया गया है, परन्तु सम्बोधित पूरी उम्मत है। शहरों में यातायात से तात्पर्य व्यापार के लिए एक शहर से दूसरे शहर अथवा एक देश से दूसरे देश जाना है। यह व्यापारिक यात्रा सांसारिक साधनों की अधिकता तथा व्यापारिक क्षेत्र के विस्तार का प्रमाण है अल्लाह तआला फ़रमाता है कि यह सब अस्थाई तथा कुछ दिनों का लाभ है। इससे ईमानवालों को धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। वास्तविक परिणाम को दृष्टि में रखना चाहिए, जो ईमान के न होने के कारण नरक की स्थाई यातना है। जिसमें यह सांसारिक धन-साधन से परिपूर्ण काफ़िर पड़े होंगे। इस विषय को अन्य कई स्थानों पर भी वर्णन किया गया है। जैसे-

﴿ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ﴾

"अल्लाह की आयतों में वही झगड़ते हैं जो काफ़िर हैं, परन्तु उनका शहरों में चलना-फिरना आपको धोखे में न डाल दे।" *(अल-मोमिन-४)*

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۞ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾

"नि:संदेह जो लोग अल्लाह पर मिथ्यारोपण करते हैं वे सफल नहीं होंगे। यह संसार में थोड़ा सा सुख है फिर हमारे पास उनको आना है।" *(यूनुस-६९,७०)*

﴿ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ (सूर: *लुकमान-२४*)

"हम उन्हें अल्प लाभ यहाँ पहुँचायेंगे फिर कठोर यातना की ओर विवश कर देंगे।"

[2]यह दुनिया के साधन ऐश्वर्य तथा सुविधायें प्रत्यक्ष रूप से चाहे जितने अधिक क्यों न हों, वास्तव में थोड़ी सी सामग्री है क्योंकि अन्त में उनको नाश होना है और उनके विनाश से पूर्व वह लोग स्वयं भी नाश हो जायेंगे, जो उनको प्राप्त करने के कारण अल्लाह तआला

(१९८) परन्तु जो लोग अपने प्रभु से डरते रहे उनके लिए स्वर्ग हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वे सदैव रहेंगे। यह अल्लाह की ओर से अतिथि हैं। और पुण्य कार्य करने वालों के लिए अल्लाह (तआला) के पास जो कुछ भी है वह सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तम है।[1]

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

(१९९) और अवश्य अहले किताब में से भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो अल्लाह (तआला) पर ईमान लाते हैं और तुम्हारी ओर जो उतारा गया है और जो उनकी ओर उतारा गया उस पर भी। अल्लाह तआला से डर करते हैं, और अल्लाह (तआला) की आयतों को छोटे-छोटे मूल्यों पर नहीं बेचते।[2] उनका बदला उनके

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

को भी भूल जाते हैं और हर प्रकार के सामाजिक बन्धनों और अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करते हैं।

[1]उनके विपरीत जो परहेज़गारी तथा अल्लाह के भय से जीवन व्यतीत करके अल्लाह के सदन में उपस्थित होंगे यद्यपि उनके पास अल्लाह को भूल जाने वालों की तरह धन की अधिकता तथा जीवन सामग्री उस प्रकार उपलब्ध न होंगी, परन्तु वह अल्लाह के अतिथि होंगे जो सम्पूर्ण सृष्टि का स्रष्टा तथा स्वामी है। और वहाँ उन को जो बदला मिलेगा, वह उससे अत्यधिक होगा जो संसार में काफ़िरों को सामायिक रूप से प्राप्त हुआ था।

[2]इस आयत में अहले किताब के उस गिरोह का वर्णन है, जिन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके ईमान और ईमान के गुणों का वर्णन करके अल्लाह तआला ने अन्य अहले किताब से उन्हें श्रेष्ठ कर दिया। जिनकी योजना ही इस्लाम, तथा इस्लाम के पैग़म्बर तथा मुसलमानों का विरोध करना था। अल्लाह की आयतों को बदलना तथा छिपाना तथा संसार के आंशिक लाभ के कारण ज्ञान को छुपाना था। अल्लाह तआला ने फ़रमाया यह ईमानवाले अहले किताब ऐसे नहीं हैं, बल्कि यह अल्लाह तआला से डरने वाले हैं। और अल्लाह की आयतों को थोड़े-थोड़े मूल्य पर बेचने वाले नहीं हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो विद्वान और ज्ञानी सांसारिक आकांक्षा के कारण अल्लाह की आयतों को बदलते हैं अथवा उनके भावार्थ का वर्णन करने में झूठ बोलते हैं अथवा छिपाते हैं, वह ईमान और अल्लाह के भय से वंचित हैं।

प्रभु के पास है। निःसन्देह अल्लाह (तआला) शीघ्र ही हिसाब लेने वाला है।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ وَرَابِطُوا۟ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

(२००) ऐ ईमानवालो ! तुम धैर्य रखो ।[1]और एक-दूसरे को थामे रखो और धर्मयुद्ध के लिए तैयार रहो ताकि तुम लक्ष्य को पहुँचो ।

सूरतुन निसा-४

سُورَةُ النِّسَاءِ

सूरः निसा मदीना में उतरी और इसमें एक सौ छिहत्तर आयतें तथा चौबीस रूकूउ हैं ।

हाफ़िज़ इब्ने कसीर ने लिखा है कि इस आयत में जिन ईमानवालों का वर्णन है उनकी संख्या यहूदियों में दस तक नहीं पहुँचती है परन्तु इसाई बड़ी संख्या में मुसलमान हुए और उन्होंने सत्य धर्म को अपनाया । (तफ़सीर इब्ने कसीर)

[1]धैर्य रखो अर्थात आज्ञाकारियों का पथ अपनाओ और मोह तथा स्वाद को छोड़ने में अपनी इन्द्रियों पर नियंत्रण रखो और इस पर दृढ़ता से स्थाई रखो । مصابرة (صابروا) युद्ध की तीव्रता में शत्रु के सामने डटे रहना, यह धैर्य की अत्याधिक कठिन सीमा है । इसीलिए इसे अलग से वर्णित किया गया है । رابطوا युद्ध के मैदान अथवा युद्ध के मोर्चे पर हर समय चौकन्ना और धर्मयुद्ध के लिए तैयार रहना मुराबतः है । यह भी बड़े साहस और निष्ठा का कार्य है । इसीलिए हदीस में इसकी यह विशेषता वर्णित की गयी है ।

«رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا».

(सहीह बुख़ारी बाब फ़जले रबाते यौमिन फ़ी सबीलिल्लाह)

"अल्लाह के मार्ग (धर्मयुद्ध) में एक दिन पड़ाव डालना (मोर्चा बन्द होना) दुनिया और उसके सुख से श्रेष्ठ है ।"

इसके अतिरिक्त हदीस में है । मकारिह (अर्थात अप्रियता की स्थिति) में पूर्ण वज़ू करने, मस्जिद में अधिक दूर से चलकर जाने और नमाज के पश्चात दूसरी नमाज की प्रतीक्षा को भी رباط (रबात) कहा गया है । (सहीह मुस्लिम किताबुल तहारः)

सूरतुन-निसा

निसॉ का अर्थ "स्त्रियाँ" है । इस सूरः में स्त्रियों की बहुत सी समस्याओं का वर्णन है इसलिए *सूरः निसॉ* कहा जाता है ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

अल्लाह तआला के नाम से प्रारम्भ करता हूँ, जो अति कृपालु तथा अति दयालु है।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ①

(१) हे लोगों ! अपने उस पालनहार से डरो जिसने तुमको एक जीव से तथा उसी से उसकी पत्नी को रचा[1] और दोनों से बहुत से नर-नारी फैला दिये और उस अल्लाह से डरो जिस नाम पर परस्पर माँगते हो तथा सम्बन्ध विच्छेद[2] से, वस्तुत: अल्लाह तुम पर संरक्षक है।

وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا

(२) तथा अनाथों को उनका धन दे दो एवं पवित्र के बदले अपवित्र न लो तथा अपने धन में

---

[1] "एक जीव" से तात्पर्य मनुष्य जाति के परम पिता आदरणीय आदम अलैहिस्सलाम हैं। और ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ में منها से वही जीव। अर्थात आदम और उनसे उनकी पत्नी आदरणीया हौवा को पैदा किया। आदरणीया हौवा आदरणीया आदम से किस प्रकार पैदा हुई इसमें मतभेद है। आदरणीय इब्ने अब्बास के कथनानुसार आदरणीया हौवा पुरुष (अर्थात आदम) से पैदा हुई अर्थात उनकी बायीं पसली से। एक हदीस में भी कहा गया है।

«إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ».

"स्त्री पसली से पैदा की गयी है और पसली में सबसे टेढ़ी ऊपरी है। यदि तू उसे सीधा करना चाहे, तो तोड़ बैठेगा और यदि तू उससे लाभ उठाना चाहे, टेढ़ेपन से ही लाभ उठा सकता है।"

(सहीह बुख़ारी, किताब बदऊल ख़ल्क, सहीह मुस्लिम, किताबुल रिदाऑ)

कुछ आलिमों ने इस हदीस से अर्थ निकालते हुए आदरणीय इब्ने अब्बास से सम्बन्धित विचार का समर्थन किया है। क़ुरआन करीम के शब्द خلق منها से इसी विचार का समर्थन होता है। आदरणीया हौवा का जन्म इसी एक जीव से हुआ जिसे आदम कहा जाता है।

[2] والأرحام का अर्थ है सम्बन्धों को तोड़ने से बचो। رحم-أرحام का बहुवचन है। तात्पर्य सम्बन्ध है, जो मातृ गर्भाशय के आधार पर बनते हैं इससे विवाह योग्य तथा विवाह के अयोग्य (निकट सम्बन्धी) दोनों सम्बन्ध तात्पर्य है। सम्बन्धों का तोड़ना महापाप है। हदीस में निकट सम्बन्धियों को हर अवस्था में सम्बन्ध स्थापित करने तथा उनके अधिकारों को अदा करने पर विशेष बल दिया गया है। जिसे संबन्ध जोड़ना कहा जाता है।

أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

मिलाकर उनका धन न खाओ, वस्तुतः यह घोर पाप है।[1]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

(३) यदि तुम्हें भय हो कि अनाथ लड़कियों से विवाह करके तुम न्याय न कर सकोगे तो और स्त्रियों में जो तुम्हें अच्छी लगें, तुम उनसे विवाह कर लो, दो-दो, तीन-तीन, चार-चार परन्तु यदि समानता न रखने का भय है, तो एक ही काफ़ी है अथवा तुम्हारे स्वामित्व की दासियाँ[2] यह अधिक निकट है कि (ऐसा करने

---

[1]ये अनाथ जब युवा तथा वयस्क हो जायें, तो उनका धन उन्हें वापस कर दो। अपवित्र से घटिया तथा पवित्र से अच्छी चीज़ो का अर्थ है। अर्थात ऐसा न करो कि उनके माल से अच्छी चीज़े ले लो। और मात्र गणना पूरा करने कि लिए घटिया चीज़े इनके बदले रख दो। इन घटिया चीज़ों को अपवित्र और अच्छी चीज़ों को पवित्र कह कर इस ओर संकेत किया गया है कि इस प्रकार बदला गया माल वास्तव में पवित्र और उचित है, परन्तु मात्र तुम्हारी बेईमानी के कारण अपवित्र हो गया और अब पवित्र नहीं रहा तुम्हारे लिये अपवित्र और वर्जित हो गया। इस प्रकार बेईमानी से उनके माल में अपना माल मिलाकर खाना भी मना है, परन्तु यदि उद्देश्य भलाई है तो उनके माल को अपने माल में मिलाना उचित है।

[2]इसकी व्याख्या के लिए आदरणीय आयशा (रज़ी अल्लाह अन्हा) का कथन है कि धनवान एवं सुन्दर अनाथ बालिका यदि किसी संरक्षक के संरक्षण में होती और वह उसके धन तथा सुन्दरता के कारण उससे विवाह कर लेता परन्तु उसकी दूसरी पत्नियों की अपेक्षा उसको पूर्ण महर का अधिकार नहीं देता। अल्लाह तआला ने इस अत्याचार से रोका है कि यदि तुम अनाथ बालिकायों के साथ न्याय न कर सको तो तुम उनसे विवाह ही न करो तुम्हारे लिए अन्य स्त्रियों से विवाह करने का मार्ग खुला है। (सहीह बुख़ारी किताबुत तफ़सीर) बल्कि एक के अतिरिक्त दो से, तीन से, यहाँ तक कि चार स्त्रियों तक से तुम विवाह कर सकते हो, परन्तु इस अनुबन्ध के साथ कि उनके मध्य न्याय कर सकोगे। अथवा एक ही से विवाह करो अथवा उसके अतिरिक्त दासी पर ही निर्वाह करो। इस आयत से ज्ञात हुआ कि एक पुरुष (यदि उसे आवश्यकता है) तो एक ही समय में चार स्त्रियों से विवाह कर सकता है परन्तु इससे अधिक नहीं, जैसाकि सहीह हदीस में इसको और अधिक विस्तार तथा स्पष्ट कर दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चार से अधिक विवाह किये, वह

से अन्याय तथा) एक ओर झुक जाने से बचो ।[1]

(४) और स्त्रियों को उनके महर (जो राशि विवाह के लिए मान्य हो) इच्छानुसार दे दो । और यदि वह स्वयं अपनी इच्छा से कुछ महर छोड़ दें, तो उसे अपनी इच्छानुसार खाओ पिओ ।

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحۡلَةً ؕ فَاِنۡ طِبۡنَ لَكُمۡ عَنۡ شَىۡءٍ مِّنۡهُ نَفۡسًا فَكُلُوۡهُ هَنِيۡٓــًٔـا مَّرِیۡٓـــٴًﺎ ﴿۴﴾

(५) बुद्धिहीनों को अपना धन जिसे अल्लाह ने तुम्हारा सहारा बनाया है न दो और उनमें से उन्हें खिलाओ और पहनाओ तथा उनसे कोमल बचन बोलो ।

وَلَا تُؤۡتُوا السُّفَهَآءَ اَمۡوَالَـكُمُ الَّتِىۡ جَعَلَ اللّٰهُ لَـكُمۡ قِيٰمًا وَّارۡزُقُوۡهُمۡ فِيۡهَا وَاكۡسُوۡهُمۡ وَقُوۡلُوۡا لَهُمۡ قَوۡلًا مَّعۡرُوۡفًا ﴿۵﴾

(६) और अनाथों को उनके वयस्क हो जाने तक सुधारते और परीक्षण करते रहो, फिर यदि तुम उनमें सुधार देखो तो उन्हें उनके माल सौंप दो, और उनके बड़े हो जाने के भय से उनके माल को शीघ्र-अतिशीघ्र व्यर्थ न खाओ,

وَابۡتَلُوا الۡيَتٰمٰى حَتّٰۤى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنۡ اٰنَسۡتُمۡ مِّنۡهُمۡ رُشۡدًا فَادۡفَعُوۡۤا اِلَيۡهِمۡ اَمۡوَالَهُمۡ ۚ وَلَا تَاۡكُلُوۡهَاۤ اِسۡرَافًا وَّبِدَارًا اَنۡ يَّكۡبَرُوۡا ؕ وَمَنۡ كَانَ غَنِيًّا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡ ۚ

आप की विशेषताओं में से है, जिस पर किसी उम्मती को अनुकरण करना उचित नहीं (इब्ने कसीर)

[1]अर्थात एक ही स्त्री से विवाह करने में भलाई है क्योंकि एक से अधिक पत्नियाँ रखने की अवस्था में सभी के साथ न्याय करना कठिन है। जिसकी ओर हार्दिक प्रेम अधिक होगा उसी की ओर जीवन-सामग्री उपलब्ध करने में अधिक ध्यान होगा, इस प्रकार पत्नियों के मध्य न्याय करने में असक्षम होगा और अल्लाह के यहाँ अपराधी होगा। क़ुरआन ने इस वास्तविकता को दूसरे स्थान पर अति स्पष्ट रूप से इस प्रकार वर्णन किया है ।

﴿ وَلَنۡ تَسۡتَطِيۡعُوۡۤا اَنۡ تَعۡدِلُوۡا بَيۡنَ النِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡ فَلَا تَمِيۡلُوۡا كُلَّ الۡمَيۡلِ فَتَذَرُوۡهَا كَالۡمُعَلَّقَةِ ؕ﴾

"और तुम कदापि इस बात की शक्ति न रखोगे कि पत्नियों के मध्य न्याय रख सको, यद्यपि तुम इच्छा रखो (तो यह अवश्य करो) कि एक ओर न झुक जाओ और अन्य पत्नियों को अधर पर लटका दो ।" (*सूर: निसा-१२९*)

इससे ज्ञात हुआ कि एक से अधिक विवाह और पत्नियों के साथ न्याय न करना ग़लत है और अत्यन्त भयानक भी ।

وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝٦

धनवानों को चाहिए कि उनके माल से बचते रहें, यदि निर्धन हों तोनियमानुसार खा लो, फिर जब उन्हें उनके माल सौंपो तोसाक्षी बना लो, तथा लेखा-जोखा के लिये अल्लाह काफ़ी है ।[1]

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْأَقْرَبُوْنَ ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۝٧

(७) माता-पिता तथा समीपवर्ती संबन्धियों की सम्पत्ति में पुरुषों का भाग है और स्त्रियों का भी (जो धन-सम्पत्ति माता-पिता और समीपवर्ती सम्बन्धी छोड़ कर मरें) चाहे वह धन कम हो अथवा अधिक (उसमें) भाग निर्धारित किया हुआ है ।[2]

---

[1]अनाथों के माल के विषय में आवश्यक निर्देश देने के पश्चात यह फ़रमाने से तात्पर्य यह है कि जब अनाथ का माल तुम्हारे पास रहा, तुमने उसकी किस प्रकार रक्षा की और जब उनका माल उनको सौंप दिया, तो उसमें किसी प्रकार कमी अथवा अधिकता अथवा किसी प्रकार का परिवर्तन तो नहीं किया। सामान्य लोगों को तुम्हारी ईमानदारी अथवा बेईमानी का शायद पता न चले परन्तु अल्लाह तआला से कोई बात छुपी नहीं हुई है। वह नि:संदेह जब तुम उसके दरबार में जाओगे तो तुमसे हिसाब ले लेगा। इसीलिए हदीस में आता है कि यह बहुत जिम्मेदारी का कार्य है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र से फ़रमाया, अबू ज़र ! मै तुम्हें क्षीण देखता हूँ, और तुम्हारे लिए वह चीज़ पसन्द करता हूँ जो अपने लिए पसन्द करता हूँ। तुम दो आदमियों पर भी अमीर (नायक) न बनना और किसी अनाथ के माल का संरक्षक न बनना। (सहीह मुस्लिम, किताबुल इमार:)

[2]इस्लाम से पूर्व यह भी अत्याचार था कि स्त्रियों और छोटे बच्चों को उत्तराधिकार के रूप में कुछ भी भाग नहीं दिया जाता था, केवल बड़े पुत्र जो लड़ने योग्य होते थे, वही सारी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी माने जाते थे। इस आयत में अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि पुरुषों की तरह स्त्रियाँ, और बच्चे-बच्चियाँ भी अपने माता-पिता और सम्बन्धियों के उत्तराधिकारी होंगी । उन्हें वंचित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह अलग बात है कि लड़की का भाग लड़के के भाग का आधा है (जैसा कि तीन आयतों के बाद वर्णन है) यह स्त्रियों पर अत्याचार नहीं है, न उसका अपमान है, बल्कि इस्लाम का यह उत्तराधिकार का नियम न्यायपूर्ण तथा तर्क संगत है क्योंकि इस्लाम ने स्त्री को जीविका उपार्जन के कर्त्तव्य से अलग रखा है। और पुरुषों को उसका संरक्षक बनाया है। इसके अतिरिक्त स्त्री के पास महर (स्त्री धन) के रूप में धन आता है, जिसको एक पुरुष ही अदा करता है। इस प्रकार पुरुष पर स्त्री के अपेक्षा कई आर्थिक प्रभार आते हैं, इसलिए यदि स्त्री का भाग आधा के

(८) और जब बँटवारे के समय सम्बन्धी तथा अनाथ एवं निर्धन आ जायें, तो तुम उसमें से थोड़ा बहुत उन्हें भी दे दो और उनसे कोमलता से बोलो ।[1]

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ⑧

(९) और चाहिए कि वह इस बात से डरें कि यदि वह अपने पीछे (नन्हें-नन्हें) नवजात शिशु छोड़ जाते, जिनके नष्ट हो जाने का भय रहता है (तो उनका प्रेम क्या होता), तो बस अल्लाह तआला से डर कर सन्तुलित बात कहा करें ।[2]

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ⑨

वजाय पुरुष के बराबर होता, तो यह पुरुष पर अत्याचार होता। परन्तु अल्लाह तआला ने किसी पर अत्याचार नहीं किया है। क्योंकि वह न्याय करने वाला है और बुद्धिमत्तापूर्ण भी है।

[1]इसे कुछ विद्वानों ने उत्तराधिकार की आयत से निरस्त कहा है, परन्तु उचित बात यह है कि यह निरस्त आदेश नहीं है। बल्कि एक विशेष नैतिक निर्देश है कि सहायता योग्य सम्बन्धी जिनका उत्तराधिकार में कोई भाग न हो, उन्हें भी बँटवारे के समय कुछ दे दो। इसके अतिरिक्त उनसे प्रेम पूर्वक कोमल बात कहो। धन को आते देख कर कारून और फ़िरऔन न बनो।

[2]कुछ व्याख्याकारों के निकट इसका संकेत उन लोगों की ओर किया जा रहा है, जिनके लिए वसीयत की गयी है। उनको शिक्षा दी जा रही है कि उनके संरक्षण के अधीन जो अनाथ हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा वह अपने मरने के बाद अपने बच्चों के साथ पसन्द करते हैं कुछ के निकट इससे साधारण लोगों को सम्बोधित करके कहा गया है कि वह अनाथों और अन्य छोटे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें। यह न देखें कि वह उनकी संरक्षण में हैं अथवा नहीं। कुछ के निकट उनको सम्बोधित किया गया है, जो मृत्यु के निकट व्यक्ति के पास बैठे हों उनका कर्त्तव्य है कि वह मरने वाले को समझायें ताकि वह अल्लाह के अधिकार और आदमियों के अधिकार में आलस्य न करे और वसीयत में वह इन दोनों बातों को ध्यान में रखे। यदि वह अधिक धनवान हो, तो एक तिहाई की वसीयत ऐसे लोगों के लिए करे, जो उसके निकट सम्बन्धियों में निर्धन और सहायता के पात्र हों अथवा किसी धार्मिक कार्य अथवा संस्था पर व्यय करने की वसीयत करे, ताकि यह माल उसके परलोक का अच्छा साथी बन सके। और यदि वह धनवान न हो तो उसे एक तिहाई माल में वसीयत करने से रोका जाये ताकि उसके घर वाले उसके बाद निर्धनता के कगार पर न पहुंच जायें। इसी प्रकार कोई अपने उत्तराधिकारियों में से किसी को वंचित करना

(१०) जो लोग अनर्थ अत्याचार से अनाथों का माल खा जाते हैं, वह अपने पेट में आग ही भर रहे है और वह नरक में जायेंगे।

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ
ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

(११) अल्लाह तआला तुम्हें तुम्हारी सन्तान के विषय में आदेश देता है कि एक पुत्र का भाग दो पुत्रियों के समान है।[1] यदि केवल पुत्रियाँ हों और दो से अधिक हों, तो उन्हें उत्तराधिकार के माल में से दो तिहाई मिलेगा।[2] और यदि एक ही लड़की हो तो उसके लिए आधा है और मृतक के माता-पिता में से प्रत्येक के लिए

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن
كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً
فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ

चाहे तो उसे रोका जाये और यह ध्यान रखा जाये कि यदि उनके बाद उनके बच्चे भूख व निर्धनता को पहुँचें तो उससे उस पर क्या गुज़रेगी। इस व्याख्या की परिधि में सभी वह सम्बोधित लोग आ गये जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है। (तफ़सीर क़ुर्तुबी तथा फ़तहुल क़दीर)

[1]इसके गुण तथा तर्क संगत होने का वर्णन हम पहले कर आये हैं उत्तराधिकारी बालक, बालिका दोनों हों तो फिर विधिवत विभाजन होंगा। बालक, बालिका छोटे हों अथवा बड़े सब उत्तराधिकारी होंगे। यहाँ तक कि भ्रुण भी उत्तराधिकारी होगा। हाँ काफ़िर संतान उत्तराधिकारी नहीं होगी।

[2]अर्थात पुत्र न हो तो धन का दो तिहाई (२/३) दो से अधिक पुत्रियों को दिये जायेंगे और यदि दो ही पुत्रियाँ हों तो भी उन्हें दो तिहाई (२/३) भाग दिया जायेगा जैसाकि हदीस में आता है कि साद बिन रबीअ "ओहद" मे शहीद हो गये। उनकी दो पुत्रियाँ थीं, किन्तु साद के पूरे धन पर उनके एक भाई ने अधिकार कर लिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चचा से दो तिहाई (२/३) उनको दिलाया (त्रिमिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, किताबुल फ़राईद) इसके सिवाये *सूरः निसा* के अन्त में बताया गया है कि यदि मृत की उत्तराधिकारी दो बहनें हों तो दो तिहाई (२/३) धन की उत्तराधिकरी होंगी तो फिर दो पुत्रियाँ दो तिहाई (२\३) धन की अधिक उत्तराधिकारी होंगी। जिस प्रकार दो बहनों से अधिक होने की दशा में उन्हें दो से अधिक पुत्रियों के नियमाधीन रख गया है, (फ़तहुल क़दीर) सारांश यह हुआ कि दो या दो से अधिक पुत्रिंयाँ हों तो तरका (छोड़े धन) में दो तिहाई पुत्रियों का भाग होगा, शेष धन असबा (वह उत्तराधिकारी जिसका भाग निर्धारित नहीं है) में विभाजित होगा।

उसके छोड़े हुये माल का छठाँ भाग है, यदि उस (मृतक) की सन्तान हो ।[1] यदि सन्तान न हो, और माता-पिता उत्तराधिकारी हों, तो फिर उसकी माँ के लिए तीसरा भाग है ।[2] हाँ, यदि मृतक के कई भाई हों, तो फिर उसकी माँ का छठाँ भाग है ।[3] यह भाग उस वसीयत (की पूर्णता) के बाद है जो मरने वाला कर गया हो अथवा ऋण अदा करने के बाद। तुम्हारे पिता हों अथवा तुम्हारे पुत्र तुम्हें नहीं मालूम

إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ
وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى
بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ
لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

---

[1]माता-पिता के भाग की तीन दशाऐं वर्णित की गई हैं, प्रथम यह कि मृत की संतान हों तो माँ-बाप प्रत्येक को मात्र छठवाँ (१/६) भाग मिलेगा, शेष दो तिहाई धन संतान पर वितरित होगा, हाँ यदि मृत की संतान में एक पुत्री हो तो उसमें से मात्र आधा धन (अर्थात छः भागों में से तीन भाग) पुत्री के होंगे और छठाँ भाग (१/६) माँ को तथा १/६ पिता को देने पश्चात (१/६) शेष रह जायेगा और यह शेष (१/६) असबा होकर बाप के भाग में जायेगा अर्थात उसे दो (१/६) मिलेगा एक पिता के रूप में दूसरा अस्बा के रूप में ।

[2]यह दूसरी दशा है कि मृत के संतान नहीं है (स्मरणीय है कि पौत्र-पौत्री संतान में सर्वसम्मति से सम्मिलित हैं) इस दशा में माँ के लिये तीसरा भाग (१/३) तथा शेष दो भाग (२/३) पिता को अस्बा स्वरूप मिलेगे, तथा यदि माता-पिता के साथ मृत की पत्नी अथवा मृत स्त्री का पति भी जीवित हो तो उत्तम कथनानुसार पति अथवा पत्नी का भाग (जिसका विवरण आगे आ रहा है) निकाल कर शेष धन में से माँ के लिये एक तिहाई (१/३) एवं शेष (२/३) पिता का होगा ।

[3]तीसरी अवस्था यह है कि मृत के भाई-बहिन जीवित हों तो वे भाई-बहिन सगे (ऐनी) अर्थात एक ही माता-पिता की संतान हों अथवा अल्लाती अर्थात पिता एक मातायें विभिन्न हों अथवा पिता विभिन्न माता एक हो अर्थात अख्याफ़ी भाई-बहिन हों । यद्यपि ये भाई-बहिन मृत के पिता के रहते उत्तराधिकार के भागी नहीं होंगे किन्तु माँ के लिये "हजब" भाग कम करने का कारण बन जायेंगे अर्थात यदि एक से अधिक होंगे तो माँ के तिहाई भाग (१/३) को छठवें भाग (१/६) में परिवर्तित कर देंगे, शेष पूरा धन (५/६) पिता के भाग में चला जायेगा परन्तु कोई अन्य उत्तराधिकारी न हो तब, हाफ़िज़ इब्ने कसीर लिखते हैं कि प्रायः धर्म विशेषज्ञों के समीप दो भाई का वही नियम है जो दो से अधिक का वर्णित हुआ है इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि एक भाई-बहिन हो तो माँ का तिहाई भाग रह जायेगा, वह (१/६) में परिवर्तित नहीं होगा । (तफ़सीर इब्ने कसीर)

कि उनमें से कौन तुम्हें लाभ पहुँचाने में अधिक निकट है ।[1] यह भाग अल्लाह (तआला) की ओर से निर्धारित किये हुए हैं । नि:सन्देह अल्लाह तआला ज्ञाता बुद्धिमान है ।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ
لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
يُّورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَّلَهُ أَخٌ
أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ

(१२) और तुम्हारी पत्नियाँ जो कुछ छोड़ कर मरें और उनकी सन्तान न हो तो आधा तुम्हारा है और यदि उनकी सन्तान हो,तो उनके छोड़े हुए माल में से तुम्हारे लिए चौथाई है ।[2] इस वसीयत को अदा करने के बाद जो वह कर गयीं हों अथवा ऋण को अदा करने के बाद और जो (छोड़ा) तुम छोड़ जाओ उसमें से उनके लिए चौथाई है, यदि तुम्हारी सन्तान न हो, और यदि तुम्हारी सन्तान हो, तो फिर उन्हें तुम्हारे छोड़े हुए धन में से आठवाँ भाग मिलेगा ।[3] उस वसीयत के पश्चात जो तुम कर गये हो और ऋण को अदा करने के बाद । और जिनका उत्तराधिकार लिया जाता है, पुरुष अथवा स्त्री कलाल: हो (अर्थात

---

[1]अत: तुम अपने प्रबोधानुसार उत्तराधिकार का विभाजन न करो वरन अल्लाह के आदेशानुसार जिसका जितना भाग निर्धारित है वह उन्हें दो ।

[2]संतान के न होने की दशा में पुत्र की संतान अर्थात पौत्र भी संतान के समतुल्य हैं इस पर मुसलमान समुदाय की सहमति है, (फ़तहुल क़दीर तथा इब्ने कसीर) इसी प्रकार मृत पति की संतान चाहे वह उसकी उत्तराधिकारी वर्तमान पत्नी से हो अथवा किसी अन्य पत्नी से, इसी प्रकार मृत पत्नी की संतान चाहे उसके वर्तमान पति से हो अथवा पूर्व के किसी पति से ।

[3]पत्नी यदि एक हो अथवा अनेक हों चौथा या आठवाँ भाग मिलेगा यही भाग उनमें विभाजित होगा प्रत्येक को चौथाई (१/४) अथवा आठवाँ (१/८) भाग नहीं मिलेगा यह सर्वसम्मति नियम है ।

ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

उसका पिता अथवा पुत्र न हो)[1] तथा उसका एक भाई अथवा एक बहन हो।[2] तो उनमें से प्रत्येक का छठाँ भाग है तथा उससे अधिक हो तो एक तिहाई में सभी सम्मिलित हैं।[3]

---

[1]कलाल: से तात्पर्य वह मृत है जिसका पिता न हो न पुत्र-पुत्री । यह इक्लील से बना है जिसका अर्थ ऐसी वस्तु है जो सिर को उसके किनारों से घेर ले, कलाल: को भी कलाल: इसीलिए कहते हैं कि जिसके मूल तथा शाखा में कोई उत्तराधिकारी न हो तथा किनारे एवं आस-पास के उत्तराधिकरी बनें (फ़तहुल क़दीर तथा इब्ने कसीर) यह भी कहा जाता है कि कलाल: का मूल धातु कलल है जिसका अर्थ थक जाना है, मानो उस मृत तक जाते-जाते वंश का कम थक गया, तथा अग्रसर न हो सका।

[2]इससे तात्पर्य माँ जाये भाई-बहिन हैं अर्थात जिनकी माँ एक हो पिता अलग-अलग। क्योंकि सगे भाई-बहिन अथवा अल्लाती (विभिन्न माँ तथा एक पिता से) भाई-बहन का भाग उत्तराधिकार में इस प्रकार नहीं है तथा इस का वर्णन इसी सूर: में अन्त में आ रहा है, और यह प्रविधान भी सर्वसम्मति से है (फ़तहुल क़दीर) वास्तव में वंश के लिये "للذكر مثل حظ الانثيين" का नियम चलता है यही कारण है कि पुत्र-पुत्रियों के लिये यहाँ तथा बहन-भाईयों के लिए इस सूर: की अन्तिम आयत प्रत्येक दो में यही नियम है, परन्तु माँ की संतान में चूँकि वंशज भाग नहीं होता इसलिये वहाँ प्रत्येक भाई-बहन को समान भाग दिया जाता है। जो भी स्थिति हो एक भाई को अथवा एक बहन को प्रत्येक को छठवाँ (१/६) भाग मिलेगा।

[3]एक से अधिक होने पर यह सब एक तिहाई (१/३) भाग में साझी होंगे पुरुष-स्त्री में कोई अन्तर नहीं किया जायेगा बिना अन्तर सभी को समान भाग मिलेगा पुरुष हों अथवा स्त्री।

विचारणीय- माँजाये अर्थात अख्याफ़ी भाई कुछ आदेशों में अन्य उत्तराधिकारियों से विभिन्न हैं (१) यह मात्र अपनी माँ के कारण उत्तराधिकारी होते हैं (२) इनके नर-नारी का भाग समान होता है, (३) यह उस समय उत्तराधिकारी होंगे जब मृत कलाल: हो, अत: पिता, दादा, पुत्र तथा पौत्र आदि की उपस्थिति में उत्तराधिकारी नहीं होंगे (४) उनके नर-नारी कितने ही अधिक हों उनका भाग एक तिहाई (१/३) से अधिक नहीं होगा तथा जैसाकि पहले कहा गया है उनको अपने मृत अख्याफ़ी भाई से जो भाग मिलगा उसमें नर-नारी का भाग बराबर होगा यह नहीं कि नर को नारी के दुगुना दिया जाये, आदर्णीय उमर ने अपने शासनकाल में यही निर्णय किया था और इमाम ज़ुहरी कहते हैं कि आदरणीय उमर ने यह निर्णय यथावत उसी समय किया होगा जब उनके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस (कथन) होगी।

उस वसीयत के पश्चात जो कि गयी हो और ऋृण के अदा होने के बाद[1] जबकि दूसरों को हानि न पहुँचाई गयी हो।[2] यह निर्धारित किया हुआ अल्लाह (तआला) की ओर से है और अल्लाह (तआला) प्रत्येक बात का जानने वाला और सहनशील है।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٣﴾

(१३) यह सीमायें अल्लाह तआला की निर्धारित सीमायें हैं और जो अल्लाह (तआला) तथा उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की आज्ञा का पालन करेगा, उसे अल्लाह (तआला) स्वर्ग में ले जायेगा जिनके नीचे नहरें बह रही

[1]उत्तराधिकार आदेशों के वर्णन के साथ यह तीसरी बार कहा जा रहा है कि उत्तराधिकार का विभाजन वसीयत (उत्तरदान) पूरा करने तथा ऋृण चुकाने के बाद किया जाये, जिससे विदित होता है कि इन दोनों को पूरा करना कितना आवश्यक है, फिर इस पर भी सहमति है कि सर्वप्रथम ऋृण चुकता किया जायेगा तथा वसीयत उसके बाद पूरी की जायेगी किन्तु अल्लाह तआला ने तीनों स्थानों पर उत्तरदान की चर्चा ऋृण से पहले की है जब कि क्रमानुसार ऋृण की चर्चा प्रथम होनी चहिये। इसमें गुण यह है कि ऋृण को तो लोग महत्व देते हैं न दें तो भी और जोड़ देते हैं और बलपूर्वक वसूल कर लेते हैं लेकिन उत्तरदान को आवश्यक नहीं समझा जाता और अधिकांश लोग इस विषय में आलस्य से काम लेते हैं अत: उत्तरदान की चर्चा प्रथम करके उसके महत्व का वर्णन कर दिया गया। (रूहुल मआनी)

विचारणीय- यदि पत्नी का स्त्री धन (महर) न दिया गया हो तो वह भी ऋृण होगा और उसका भी भुगतान उत्तराधिकार के वितरण से पहले अनिवार्य है और स्त्री का धार्मिक विधि का भाग उसके अतिरिक्त होगा।

[2]इस प्रकार कि वसीयत द्वारा किसी उत्तराधिकारी को वंचित कर दिया जाये अथवा किसी का भाग घटा दिया जाये या यूँ हीं उत्तराधिकारियों को हानि पहुँचाने कि लिये कह दे कि अमुक व्यक्ति से मैंने इतना ऋृण लिया है जब कि कुछ भी न लिया हो। मानो हानि पहुँचाने का संबन्ध उत्तराधिकार तथा ऋृण दोनों से है तथा दोनों के द्वारा हानि पहुँचाना निषेध एवं महापाप है और ऐसी वसीयत भी अनृत होगी।

हैं, जिनमें वह सदैव निवास करेंगे और यह बहुत बड़ी सफलता है।

(१४) और जो व्यक्ति अल्लाह (तआला) की और रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की अवज्ञा करे और उसकी निर्धारित सीमाओं को लाँघ जाये उसे वह नरक में डाल देगा, जिसमें वह सदैव रहेगा। ऐसों के लिए ही अपमानित यातना है।

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۖ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٤﴾

(१५) तुम्हारी स्त्रियों में से जो व्यभिचार कार्य करें उन पर अपने में से चार साक्षी उपलब्ध करो, यदि वह गवाही दें तो उन स्त्रियों को घर में बन्दी बना दो, यहाँ तक कि मृत्यु उनकी आयु को पूर्ण कर दे।[1] अथवा अल्लाह तआला उनके लिए कोई अन्य मार्ग निकाले।[2]

وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰىهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴿١٥﴾

[1]यह व्यभिचारी नारियों का वह दंड है जो इस्लाम के प्रारम्भिक युग में जब व्यभिचार का दंड निर्धारित नहीं हुआ था सामायिक रूप से निर्धारित की गई थी यहाँ यह भी स्मरणीय है कि अरबी भाषा में एक से दस की गिनती में यह प्रमाणित नियम है कि गिनती पुलिंग होगी तो गणित स्त्रीलिंग था गिनती स्त्रीलिंग हो तो गणित पुलिंग, यहाँ أربعة चार की गिनती स्त्रीलिंग है इसलिये इसका गणित जो यहाँ विचर्चित नहीं तथा लिप्त है निश्चय पुलिंग होगा और वह (पुरुष है) जिससे स्पष्ट रूप से यह विदित होता है कि व्यभिचार के प्रमाण के लिए चार पुरुष गवाहों का होना आवश्यक है। मानो जैसे व्यभिचार का दंड कड़ा निर्धारित किया गया है इसके प्रमाण के लिये भी कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है अर्थात चार मुसलमान पुरुष गवाही के बिना जिन्होंने आंखों से देखा है धार्मिक दंड को प्रमाणित करना असंभव है।

[2]इससे व्यभिचार की वह यातना अभिप्राय है जो बाद में निर्धारित की गई अर्थात विवाहित व्यभिचारी पुरुष-स्त्री के लिये रजम अर्थात पत्थरों से मार डालना तथा अविवाहित व्यभिचारी पुरुष-स्त्री के लिये सौ-सौ कोड़े का दंड जिसकी व्याख्या सूरः नूर तथा सहीह हदीसों में वर्णित है।

وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿١٦﴾

(१६) और तुममें से जो दो व्यक्ति ऐसा काम कर लें।[1] उन्हें कष्ट दो।[2] यदि वह क्षमा माँग लें तथा सुधार कर लें, तो उनसे मुहँ फेर लो। नि:सन्देह अल्लाह तआला क्षमा स्वीकार करने वाला तथा दया करने वाला है।

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧﴾

(१७) अल्लाह तआला केवल उन्हीं लोगों की क्षमा स्वीकार करता है जो अंजान होने के कारण बुराई करें और शीघ्र ही उससे रुक जायें और क्षमा मागें तो अल्लाह (तआला) भी उनकी क्षमा स्वीकार करता है। अल्लाह (तआला) बड़ा ज्ञानी बुद्धिमान है।

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۗ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٨﴾

(१८) और उनकी क्षमा स्वीकार नहीं, जो बुराईयाँ करते चले जायें यहाँ तक कि उनमें से किसी की मृत्यु निकट आ जाये, तो कह दें कि मैंने अब क्षमा माँगी।[3] उनकी क्षमा भी स्वीकार नहीं होती जो कुफ्र की स्थिति में मर जायें। यही लोग हैं जिनके लिए हमने कठोर यातना तैयार कर रखी है।

---

[1]कुछ ने इससे बाल मैथुन अर्थ लिया है अर्थात दो पुरुषों का परस्पर संभोग तथा कुछ ने इससे कुंआरी स्त्री-पुरुष अर्थ लिया है और इससे पूर्व की आयत को विवाहित के साथ विशेष किया है तथा कुछ ने इस वचन से तात्पर्य पुरुष-स्त्री लिया है वह कुंआरे हों अथवा विवाहित इब्ने जरीर ने दूसरे अर्थ को प्रधानता दी है। तथा प्रथम आयत में वर्णित दंड को सूर: नूर में वर्णित दंड से निरस्त माना है, (तफ़सीर तबरी)

[2]अर्थात मुख से डाँटना, फटकारना और धिक्कारना अथवा हाथ से कुछ मार पीट देना और अब यह निरस्त है।

[3]इससे स्पष्ट है कि मौत के समय की क्षमा-याचना अस्वीकृत है, जैसा कि हदीस में भी आता है जिसका विवरण *आले इमरान* की आयत ९ में व्यतीत हो चुका।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

(१९) ऐ ईमानवालो ! तुम्हारे लिये निषेध है कि बलपूर्वक स्त्रियों को उत्तराधिकार के रूप में ले बैठो ।[1] उन्हें इसलिए न रोक रखो कि जो तुम ने उन्हें दे रखा है उसमें से कुछ ले लो ।[2] हाँ, यह और बात है कि वह कोई खुली बुराई तथा व्यभिचार का व्यवहार करें ।[3] उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, यद्यपि कि तुम उन्हें पसन्द न करो, परन्तु अति सम्भव है कि तुम एक चीज़ को बुरा जानो, और अल्लाह (तआला) उसमें बहुत सी भलाई कर दे ।[4]

---

[1]इस्लाम से पूर्व नारी पर यह अत्याचार भी होता था कि किसी के निधन के उपरान्त उसके घर के लोग उसके धन के समान उसकी पत्नी के भी बलपूर्वक उत्तराधिकारी बन जाते थे तथा स्वयं अपनी इच्छा से उसकी प्रसन्नता के बिना उससे विवाह कर लेते, अथवा अपने भाई, भतीजे से उसका विवाह कर देते यहाँ तक की सौतेला पुत्र अपने मृत पिता की पत्नी से विवाह कर लेता अथवा यदि चाहते तो उसे किसी से विवाह करने की अनुमति न देते और वह पूरी आयू यूँ ही निर्वाह करने के लिये बाध्य होती । इस्लाम ने अत्याचार के इन सभी रूपों को वर्जित कर दिया ।

[2]नारी पर एक अत्याचार यह भी किया जाता था कि यदि पति-पत्नी में रूचि नहीं रखता था और उससे मुक्ति चाहता था तो स्वयं विवाह-विच्छेद नहीं करता था (जिस प्रकार इस्लाम ने तलाक़ (विवाह-विच्छेद) की अनुमति दी है) अपितु उसे अति आतंकित करता ताकि वह बाध्य होकर महर (स्त्री धन) अथवा जो भी उसे पति ने दिया है स्वयं वापस करके उससे मुक्ति प्राप्त करने को प्राथमिकता दे ।

[3]खुली बुराई से तात्पर्य व्यभिचार अथवा अपवाद एवं अवज्ञा है, इन दोनों ही दशा में पति को यह अनुमति दी गई है कि उसके साथ ऐसा व्यवहार करे कि वह उसका दिया हुआ धन अथवा स्त्री धन (महर) वापस करके खुलाअ कराने पर बाध्य हो जाये (जैसाकि खुलाअ में पति को महर वापस लेने का अधिकार दिया गया है । (देखिये सूर: *बक़र:*-२२९)

[4]यह पत्नी के साथ सद्व्यवहार का वह आदेश है जिस पर क़ुरआन ने बहुत बल दिया है । तथा हदीस में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अति महत्व दिया है, एक हदीस में आयत के उसी भावार्थ को इस प्रकार वर्णित किया गया है ।

(२०) और यदि तुम एक पत्नी के स्थान पर दूसरी पत्नी करना ही चाहो और उनमें से किसी को तुमने धन का कोष दे रखा हो, तो भी उसमें से कुछ न लो ।[1] क्या तुम उसे बदनाम करके खुले पाप से ले लोगे ।

وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

(२१) और तुम उसे कैसे ले लोगे ? यद्यपि तुम एक-दूसरे से मिल चुके हो ।[2] और उन स्त्रियों

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ

«لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ سَخِطَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ».

"मोमिन पति मोमिन पत्नी से बैर न रखे यदि उसका एक व्यहार अप्रिय है तो उसका अन्य व्यवहार प्रिय भी होगा।" (सहीह मुस्लिम किताबुल रिदाअ:)

अभिप्राय यह है कि निर्लज्जा तथा अवज्ञा के अतिरिक्त यदि पत्नी में कुछ और कमी हो जिसके कारण पति उसे अप्रिय मानता हो तो उसे तुरंत तलाक़ न दे बल्कि धैर्य तथा सहन से काम ले । संभव है कि अल्लाह उसमें उसके लिये बड़ी भलाई पैदा कर दे अर्थात अच्छी संतान प्रदान कर दे अथवा उसके कारण व्यवसाय में विभूति पैदा कर दे इत्यादि । खेद का विषय है कि मुसलमान क़ुरआन व हदीस के इन निर्देशों के विपरीत तनिक बातों पर अपनी पत्नियों को तलाक़ दे डालते हैं तथा इस प्रकार इस्लाम के प्रदत्त तलाक़ अधिकार का निर्दयता से प्रयोग करते हैं । जबकि यह अधिकार अति आवश्यक दशा में प्रयोग के लिये दिया गया था न कि घर उजाड़ने, पत्नियों पर अत्याचार करने एवं बच्चों का जीवन नाश करने के लिये । इसके अतिरिक्त यह इस्लाम के अपमान का भी हेतु बनते हैं कि इस्लाम ने पुरूषों को तलाक़ का अधिकार देकर नारियों पर अत्याचार करने का अधिकार दे दिया इस प्रकार इस्लाम की एक बड़ी खूबी को बुराई सिद्ध किया जाता है ।

[1]स्वयं तलाक़ देने की स्थिति में महर वापस लेने को कठोरता से रोक दिया गया है, قنطار धन के कोष तथा अत्यधिक धन को कहते हैं । अर्थात कितना भी महर दे दिया हो, वापस नहीं ले सकते । यदि ऐस करोगे तो यह अत्याचार स्पष्ट पाप होगा ।

[2]एक-दूसरे से मिल चुके हो का अर्थ सहवाद है । जिसे अल्लाह तआला ने सांकेतिक रूप से वर्णन किया है ।

مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

ने तुम से घनिष्ठ वचन ले रखा है ।[1]

وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

(२२) और उन स्त्रियों से विवाह न करो, जिनसे तुम्हारे पिताओं ने विवाह किया हो ।[2] परन्तु जो हो चुका, यह निर्लज्जा का कार्य और द्वेष के कारण हैं और बड़ा बुरा मार्ग है ।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

(२३) तुम पर हराम की गयीं[3] तुम्हारी माताऐं तथा तुम्हारी पुत्रियाँ तथा तुम्हारी बहनें तथा

---

[1]सुदृढ़ वचन से उस वचन का तात्पर्य है जो विवाह के समय पुरुष से लिया जाता है कि तुम इसे अच्छे प्रकार से रखना अथवा नम्रता के साथ छोड़ देना ।

[2]अज्ञान युग में सौतेला पुत्र अपने पिता की पत्नी से विवाह कर लेता था उससे रोका जा रहा है कि यह बड़ी निर्लज्जा का काम है । ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم﴾ साधारण आदेश है ज़ो ऐसी स्त्री से विवाह को भी वर्जित घोषित कर रहा है जिससे उसके पिता ने विवाह किया किन्तु समागम से पहले तलाक़ दे दिया, यह बात आदरणीय इब्ने अब्बास से उदघृत है, तथा धर्म विशेषज्ञ इसी को मानते हैं । (तफ़सीर तबरी)

[3]जिन स्त्रियों से विवाह निषेध है उनका विवरण दिया जा रहा है । इनमें सात निषेधित स्त्रियाँ वंशज हैं, सात दुग्ध कर्म से तथा चार ससुराली, इनके सिवा हदीस से प्रमाणित है कि भतीजी तथा फूफी एवं भगिनी तथा ख़ाला को एक साथ विवाह करके रखना वर्जित है । सात वंशज निषेधित स्त्रियाँ हैं मातायें, पुत्रियाँ, बहनें, फूफियाँ, ख़ालायें, भतीजी एवं भगिनी, दुग्ध कर्म से निषेधित सात दुग्ध कर्म से माँ, उसकी पुत्रियां, बहनें, फूफियाँ, ख़ालायें । दुग्ध कर्म से भतीजियाँ, भगिनियां, हैं । ससुराली निषेधित स्त्रियां सास, संभोगित पत्नी की पहले पति से पुत्रियाँ, पुत्रवधु तथा दो सगी बहनों को एक साथ विवाह करके रखना, इनके सिवा पिता की विवाहिता जिसकी चर्चा इससे पहले की आयत में हो चुकी है तथा हदीस के अनुसार स्त्री जब तक विवाह में है उसकी फूफी तथा ख़ाला एवं उसकी भतीजी एवं भांजी से भी विवाह वर्जित है, वंशज निषेधित स्त्रीयों की सूची में माँ की माँ (नानियां) उनकी दादियां, तथा पिता की माताऐं नीचे तक सम्मिलित हैं, व्यभिचार से जन्मी पुत्री, पुत्री है या नहीं इसमें मतभेद है तीनों इमाम धर्म विशेषज्ञ उसे पुत्री मानते हैं तथा उससे विवाह निषेध समझते हैं । इमाम शाफ़ई कहते हैं कि वह धर्म विधानानुसार पुत्री नहीं अत: वह जिस प्रकार ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (अल्लाह तुम्हें संतान में त्यक्त धन विभाजित करने का आदेश करता है) के अन्तर्गत नहीं तथा सर्वसम्मति से उत्तराधिकारी नहीं इसी प्रकार इस आयत के भी अन्तर्गत नहीं । والله أعلم, "बहनें" सगी हों अथवा माँ से अथवा पिता से, "फूफियां" में पिता की और सभी मूल पुरुष (अर्थात नाना, दादा) की

तीनों प्रकार की बहनें आती हैं "खालायें" इसके अन्तर्गत माँ की तथा सभी मूल स्त्री (अर्थात दादी, नानी) की तीनों प्रकार की बहनें आती हैं, "भतीजियों" में तीनों प्रकार के भाइयों की संतान सीधे हों अथवा माध्यम से ऐसे ही "भगनियों" में तीनों प्रकार की बहनों की संतान स्वयं उनकी हों अथवा उनकी संतान की संतान सम्मिलित हैं।

दूसरी प्रकार दुग्ध कर्म से निषेधित स्त्रियाँ-दूध पिलाने वाली माता, जिसका दूध स्तनपान की अवधि में पिया हो (अर्थात दो वर्ष के भीतर) दुग्ध से बहन जिसे तुम्हारी सगी माता अथवा दूध पिलाने वाली माता ने दूध पिलाया, तुम्हारे साथ पिलाया अथवा तुमसे पहले या बाद तुम्हारे अन्य भाई-बहन के साथ पिलाया अथवा जिस स्त्री की सगी माँ अथवा दूध वाली माँ ने तुम्हें दुग्धपान कराया, चाहे विभिन्न समय में पिलाया हो, दुग्ध से भी वह सभी वर्जित हो जायेंगे जोवंश से वर्जित होते हैं, इसका विवरण यह है कि दूध पिलाने वाली माता की स्वयं अपनी संतान, तथा जिनको स्तनपान कराया है स्तनपान करने वाले शिशु के भाई-बहन, दूध पिलाने वाली माता का पति, उसका पिता तथा उस पुरुष की बहनें उसकी फूफियाँ, उस स्त्री की बहनें, ख़ालायें और उस स्त्री के ज्येष्ठ देवर उसके चचा, ताया बन जायेंगे। और इस स्तनपायी शिशु के सगे भाई-बहन आदि इस घराने पर स्तनपान के कारण वर्जित न होंगे।

तीसरी प्रकार, स्वसुराली निषेधित स्त्रियाँ- पत्नी की माता अर्थात सास (पत्नी की नानी, दादी भी इसमें सम्मिलित हैं) यदि किसी ने स्त्री से विवाह करके बिना समागम कि विवाह विच्छेद कर लिया तब भी उसकी माँ (सास) से विवाह वर्जित होगा। किन्तु किसी स्त्री से विवाह कर के बिना संभोग "तलाक़" दे दी हो तोउसकी पुत्री से उसका विवाह वैध होगा। (फतहुल क़दीर)

रबीब: पत्नी की पहले पति से पुत्री इसका निषेध प्रतिबन्धित है अर्थात उसकी माता से संभोग कर लिया होगा तो, "रबीबा" से विवाह वर्जित अन्यथा अवर्जित होगा, في حجوركم (वह रबीब: जिनका पालन, पोषण तुम्हारी गोद में हुआ) यह बंधन साधारण अवस्था के कारण है प्रतिबन्ध के रूप में नहीं यदि वह पुत्री किसी अन्य स्थान में पाली जायेगी, अथवा निवास करेगी तब भी विवाह वर्जित होगा, पत्नी को हलील: कहा जाता है क्योंकि अरबी में उसका अर्थ उतरने का स्थान है और पत्नी पति के साथ निवास तथा प्रस्थान करती है, पुत्रों में पौत्र और नवासे भी आते हैं अर्थात उनकी पत्नियों से भी विवाह वर्जित होगा, इसी प्रकार दुग्ध पिलाई संतान के जोड़े भी निषेध होंगे من اصلابكم (तुम्हारे सगे पुत्रों की पत्नियाँ) के वन्धन से यह प्रकाशित हो गया कि लेपालक की पत्नियों से विवाह निषेध नहीं, दो बहनें सगी हों अथवा दुग्ध की उनसे एक समय में विवाह निषेध है। किन्तु एक के निधन अथवा तलाक़ की दशा में इद्दत पूरी होने के पश्चात दूसरी से विवाह उचित है। इसी प्रकार चार पत्नियों में से एक को तलाक़ देने के बाद पाँचवीं से विवाह की अनुमति नहीं जब तक तलाक़ प्राप्त स्त्री इद्दत न पूरी कर ले।

وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَ
اُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِیْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ
وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِیْ فِیْ حُجُوْرِكُمْ
مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِیْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ز
فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ ز وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ
الَّذِیْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ لا وَاَنْ تَجْمَعُوْا
بَیْنَ الْاُخْتَیْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا ﴿٢٣﴾ لا

तुम्हारी फूफियाँ तथा तुम्हारी मौसियाँ एवं भाई की पुत्रियाँ एवं बहन की पुत्रियाँ और तुम्हारी वह माताऐं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो । तथा तुम्हारी दूध में भागीदार बहनें एवं तुम्हारी सास तथा तुम्हारी वह पालन-पोषण की गयीं लड़कियाँ जो तुम्हारी गोद में हैं, तुम्हारी उन स्त्रियों से जिनसे तुम सहवास कर चुके हो । हाँ, यदि तुम ने उनसे सम्भोग न किया हो, तो तुम पर कोई पाप नहीं और तुम्हारे अपने सगे पुत्रों की पत्नियाँ और तुम्हारा दो सगी बहनों को एक साथ विवाह करना । हाँ, जो हो चुका सो हो चुका, नि:सन्देह अल्लाह तआला क्षमा करने वाला दयालु है ।

विचारणीय : व्यभिचार से निषेध सिद्ध होगा अथवा नहीं इसमें विद्वानों का मतभेद है । अधिकतर का विचार है कि, यदि किसी ने किसी स्त्री के साथ व्यभिचार किया तो इसके कारण वह स्त्री उस पर वर्जित न होगी । इसी प्रकार यदि अपनी पत्नी की माता (सास) से अथवा उसकी पुत्री से (जो दूसरे पति से हो) व्यभिचार कर लेगा तो उसकी पत्नी उस पर वर्जित नहीं होगी (तर्कों के लिये फ़तहुल क़दीर भाग, १ देखिये) अहनाफ़ तथा अन्य विद्वानों के विचार में व्यभिचार से भी निषेध सिद्ध हो जायेगा । प्रथम मत को कुछ हदीसों से सहयोग मिलता है ।